

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 01]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2023—पौष 16, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2022

क्र. एफ-5-01-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री वीरेन्द्र सिंह, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4397-(दो-1-7-2018), दिनांक 16 नवम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 18 नवम्बर 2022 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने

की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 1(ए)38-2020-व-2-दो.—राज्य शासन, श्री सिद्धार्थ चौधरी, भापुसे सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन), पु.मु.,

भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए) दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2022 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 24-25 व 31 दिसम्बर 2022 एवं 01 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में गृह नगर अंतर्गत जशपुर (छत्तीसगढ़) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

1. श्री सिद्धार्थ चौधरी	-	स्वयं
2. श्रीमती सुलेखा चौधरी	-	पत्नी
3. श्री उत्कर्ष चौधरी	-	पुत्र
4. श्रीमती सावित्री चौधरी	-	माँ

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सिद्धार्थ चौधरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन), पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सिद्धार्थ चौधरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्धार्थ चौधरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)152-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस मैनुअल), पु. मु., भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए) दिनांक 26 दिसम्बर 2022 से 3 फरवरी 2023 तक, उन्वालीस दिवस अर्जित अवकाश एवं 24-25 दिसम्बर 2022 व 04-05 फरवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत मियाओं-नामदफा (अरुणाचल प्रदेश) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री मनीष शंकर शर्मा	-	स्वयं
2. श्रीमती आरती शर्मा	-	पत्नी
3. श्री तेजस्वी शंकर शर्मा	-	पुत्र

(2) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (आरएण्डडी), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस मैनुअल), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)157-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री जी. जनार्दन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, पु. मु., भोपाल को दिनांक 14 से 30 दिसम्बर 2022 तक, सत्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री जी. जनार्दन, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री चंचल शेखर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक एससीआरबी, पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जी. जनार्दन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जनार्दन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)157-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री संजीव शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (चयन/भर्ती), पु. मु., भोपाल को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2022 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-11 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री संजीव शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री विजय कटारिया, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (कल्याण), पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (चयन/भर्ती), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजीव शमी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)152-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जेएनपीए, सागर को दिनांक 24 अगस्त से 13 अक्टूबर 2022 तक, इक्वावन दिवस लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 102 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)155-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार, भापुसे अति. पुलिस महानिरीक्षक, योजना, पु.मु., भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए) दिनांक 16 दिसम्बर 2022 के एक दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 17-18 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत गोवा जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| 1. श्री अनिल कुमार | - | स्वयं |
| 2. श्रीमती अनुपमा कुमार | - | पत्नी |
| 3. श्री अनुनय कुमार शर्मा | - | पुत्र |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, योजना, पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 1(ए)389-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री पवन कुमार जैन, भापुसे महानिदेशक, होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश को खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए) में दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2022 तक, कुल चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 24-25 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत ऊटी (उटकमंड) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

- | | | |
|------------------------|---|--------|
| 1. श्री पवन कुमार जैन | - | स्वयं |
| 2. श्रीमती अंजुली जैन | - | पत्नी |
| 3. सुश्री गीतांजलि जैन | - | पुत्री |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 1(ए)175-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री चंचल शेखर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एससीआरबी पु. मु., भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड

वर्ष 2022-25 में केरीफावर्ड करते हुए) दिनांक 21 से 30 दिसम्बर 2022 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2022 व 01 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत लक्ष्यद्वीप जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान करता है:—

- | | | | |
|----|------------------------|---|--------|
| 1. | श्री चंचल शेखर | - | स्वयं |
| 2. | श्रीमती अभिसारिका शेखर | - | पत्नी |
| 3. | सुश्री ख्याति शेखर | - | पुत्री |
| 4. | श्री अतुल्य शेखर | - | पुत्र |

(2) श्री चंचल शेखर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस. टी. एफ., मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री चंचल शेखर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, एससीआरबी पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री चंचल शेखर, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री चंचल शेखर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चंचल शेखर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)186-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 9 से 13 जनवरी 2023 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 07-08 व 14-15 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)138-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, डॉ. विनीत कपूर, भापुसे, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), नगरीय पुलिस, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफावर्ड करते हुए) दिनांक 23 से 30 दिसम्बर 2022 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2022 व 01 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत चैन्नई जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

- | | | | |
|----|---------------------|---|--------|
| 1. | डॉ. विनीत कपूर | - | स्वयं |
| 2. | श्रीमती शालिनी कपूर | - | पत्नी |
| 3. | सुश्री कायनात कपूर | - | पुत्री |
| 4. | कु. लावण्या कपूर | - | पुत्री |

(2) डॉ. विनीत कपूर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री हंसराज सिंह, पुलिस उपायुक्त (यातायात), नगरीय पुलिस, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. विनीत कपूर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), नगरीय पुलिस, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. विनीत कपूर, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. विनीत कपूर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विनीत कपूर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 1(ए)154-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पु. मु., भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफावर्ड करते हुए) दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत तिरुपति (आंध्रप्रदेश) जाने हेतु परिवार के

निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| 1. श्री डी. श्रीनिवास राव | - | स्वयं |
| 2. श्रीमती डी. सुचरिता | - | पत्नी |

(2) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)22-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, सीहोर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए) दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2022 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत जम्मू कश्मीर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान करता है :-

- | | | |
|-------------------------|---|--------|
| 1. श्री मयंक अवस्थी | - | स्वयं |
| 2. श्रीमती मानसी अवस्थी | - | पत्नी |
| 3. कु. ईरा अवस्थी | - | पुत्री |

(2) श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गीतेश कुमार गर्ग, अति. पुलिस अधीक्षक, सीहोर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 1(ए)90-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पु. मु., भोपाल का दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2022 व 01 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ 1(ए)165-1994-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15 दिसम्बर 2022 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आरएण्डडी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 7 से 16 दिसम्बर 2022 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 17-18 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ लक्ष्यद्वीप की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| 1. श्री अनिल कुमार गुप्ता | - | स्वयं |
| 2. श्रीमती वैशाली गुप्ता | - | पत्नी |
| 3. श्री वासु गुप्ता | - | पुत्र |
| 4. श्री देव गुप्ता | - | पुत्र |

2. आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2022

फा. क्र. 4945-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 699/2016 में अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2017 के परिपालन में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को कॉलम (2) में उल्लिखित जिले के लिए उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	जिला (2)	सत्र न्यायालय (3)
1	भोपाल	इक्कीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल.

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी

F. No. 4945-XXI-B-(1)-2022.—In Compliance of the order passed on 14th December 2017 by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) 699/2016, Ashwani Kumar Upadhyay Vs. Union of India and Others, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act, 1989 (No. 33 of 1989) the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby specify the Court of District and additional Sessions Judge mentioned in column (3) as special courts for the districts mentioned in column (2), of the table given below, to try the offences under the said Act, namely:—

TABLE

S. No. (1)	District (2)	Sessions Court (3)
1	Bhopal	XXI, District and Additional Sessions Judge, Bhopal.

2. This Notification shall come into force with immediate effect.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

फा. क्र. 5033-2022-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री उत्कर्ष कुमार सोनकर, अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, जबलपुर का व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के पद से त्याग-पत्र दिनांक 4 जनवरी 2023 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.

फा. क्र. 5045-2022-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उक्त पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री संजीव श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (पीओए) एक्ट, सागर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर में रिक्त पद पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2022

पंजी. क्र. 5034-2022-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी (MPSJA) जबलपुर के रिक्त पद पर पदस्थ करने हेतु उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2023

पंजी. क्र. 5036-2022-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं उनके नाम से समक्ष दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है :—

क्र. (1)	नाम तथा पद (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, जबलपुर
2.	श्री संजय अग्रवाल, छठवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, जबलपुर
3.	श्री अजय सिंह ठाकुर, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2022

फा. क्र. 5091-2022-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को उनके आवेदन दिनांक 30 सितम्बर 2022 के माध्यम से तीन माह पूर्व दी गई सूचना के फलस्वरूप मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए लागू ऑल इण्डिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट्स) रूल्स, 1958 के नियम 16 (2-ए) सहपठित डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट्स) रूल्स, 1964 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव, प्रभारी प्रमुख सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2022

क्र एफ-22-14-2000-ई-चार.—राज्य शासन, द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अगस्त 2020 में संशोधन करते

हुए, राज्य वित्तीय निगम, अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) (संशोधित अधिनियम, 2000) की धारा 10 (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मनोज गोविल, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के अन्यत्र स्थानांतरित हो जाने के कारण श्री अजीत केसरी, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु नामांकित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

शुद्धिपत्र

क्र. एफ-3-38-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) के तहत विभागीय सूचना क्रमांक एफ-3-38-2021-अठारह-5, दिनांक 4 मार्च 2021 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 12 मार्च 2021 में प्रकाशित हुई, में टंकण त्रुटिवश सूचना की कंडिका-2 में खसरा क्रमांक 666 रकबा 0.338 अंकित हुई. प्रकाशित सूचना की कंडिका-2 में खसरा क्रमांक 666 रकबा 0.338 के स्थान पर खसरा क्रमांक 666 कुल रकबा 0388 पढ़ा जावे.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2022

शुद्धिपत्र

क्र. यूडीएच-3-0105-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) के तहत विभागीय सूचना क्रमांक यूडीएच-3-0105-2022-अठारह-5, दिनांक 23 नवम्बर 2022 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 2 दिसम्बर 2022 में प्रकाशित हुई, में टंकण त्रुटिवश उक्त सूचना में शर्त की कंडिका-3 में डबरा विकास योजना 2031 के एकीकृत भाग के स्थान पर धार विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग अंकित हुआ है.

2. अतः विभाग द्वारा जारी सूचना क्रमांक यूडीएच-3-0105-2022-अठारह-5 में शर्त की कंडिका 3 में धार विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग के स्थान पर डबरा विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग पढ़ा जावे.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्रमांक-एफ-3/75/2020/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4910 / टीसी / 67 / उपां / नग्रानि / 2018 दिनांक 24/08/2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	बिलखिरिया खुर्द	53/1/2, 60/1/2, 64, 61/1, 61/2, कुल रकबा	कुल रकबा 2.097 हेक्टेयर में से 1.826 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक)
		कुल रकबा	2.097 हेक्टेयर में से 1.826 हेक्टेयर		

शर्तें:-

1. आवेदक को मुख्य मार्ग से शिव मंदिर होते हुये गुराड़िया घाट से प्रश्नाधीन स्थल तक 12 मीटर चौड़ा मार्ग स्वयं के वित्तीय संसाधनों से निर्मित करना होगा ।
2. मार्ग निर्माण, निर्धारित मानक एवं चौड़ाई अनुसार पूर्ण होने तक निर्माण लागत राशि(भूमि की कीमत शामिल करते हुये) की 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी राज्य नगर नियोजन संस्थान भोपाल में जमा करना अनिवार्य होगी । जिसे राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा प्रमाणन पश्चात् ही मुक्त किया जावेगा ।
3. भोपाल विकास योजना, 2031 प्रारूप में प्रश्नाधीन भूमि पर प्रस्तावित मार्ग की भूमि को रिक्त रखा जाना आवश्यक होगा जिस पर प्रारूप विकास योजना अंतिम होने पर निर्दिष्ट उपयोग अनुसार विकास कार्य किया जाये ।
4. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 (3) (क) के अंतर्गत देय राशि रु. 8,03,440/- मात्र (आठ लाख तीन हजार चार सौ चालीस मात्र) दिनांक 29/12/2022 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (2) के चालान क्रमांक-051 / 9999999 / 0217 / 12/22/000154 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है ।
5. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा ।

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2023

क्रमांक एफ-3-12/2021/18-5:- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सिवनी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0।
2. कलेक्टर, जिला सिवनी म0 प्र0।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा म.प्र.।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सिवनी म.प्र.।

2/ सिवनी विकास योजना (प्रारूप) 2035 में उपांतरण संबंधी मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-19 (2) में जारी सूचना दिनांक 25.08.2022 (म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 02.09.2022 को प्रकाशित) पर निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सुनवाई के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया है कि :-

“सिवनी निवेश क्षेत्र अंतर्गत, छिन्दवाड़ा मार्ग से नागपुर मार्ग, नागपुर मार्ग से कटंगी मार्ग तथा कटंगी मार्ग से बालाघाट मार्ग को जोड़ने वाले नवनिर्मित मार्ग को सिवनी विकास योजना 2035 के मानचित्रों में दर्शाया जायें।”

3/ यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2023

क्रमांक:-एफ-3/12/2021/18-5 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभागीय सूचना क्रमांक-एफ-3/12/2021/18-5 दिनांक 02/01/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुप्रिया पेड़के, अवर सचिव.

Bhopal the 2nd January 2023

No. F-3-12/2021/18-5: Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Seoni (Planning Area) 2035 under sub-section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:-

1. Commissioner, Jabalpur division Jabalpur M.P.
2. Collector, District Seoni, MP
3. Deputy Director, Town & Country Planning, District Office Chhindwara, MP
4. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Seoni M.P.

2/ Objections/ suggestions received within the stipulated time period on the notification dated 25-08-2022 (published in State Gazette on 02-09-2022) regarding modification in Seoni Development Plan (Draft) 2035 were heard and it has been decided that :-

" The newly constructed road in Seoni Planning area, which joins, Chhindwara road to Nagpur road, Nagpur road to Katangi road and Katangi road to Balaghat road shall be shown in the maps of Seoni Development Plan, 2035. "

3/ The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in M.P. Gazettee under section 19 (5) of M.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्रमांक-यूडीएच-0098/2022/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-'' पधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3892/टीसी/43/रीवा/उपां/नग्रानि/2021 भोपाल दिनांक 13/09/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रीवा विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	रीवा तह० हुजूर नगर जिला रीवा	403 459	19.586 हेक्टे० में से 0.4176 हेक्टेयर 0.1540 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, तथा मार्ग सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, तथा मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग वाणिज्यिक एवं मार्ग
		योग :-	कुल रकबा 19.740 में से 0.5716 हेक्टेयर		

शर्त :-

1. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी
2. प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा स्थित मार्तण्ड स्कूल से रसिया मोहल्ला चौक तक मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर निर्दिष्ट है। अतः मार्ग मध्य से 9.00-9.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थल के पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में स्थित मार्गों की चौड़ाई 12.00 मीटर रखा जाना अनिवार्य होगा।
3. स्थल पर स्थित विद्युत लाईन से म०प्र० भूमि विकास नियम, 2012 तथा ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक क्षेत्र खुला रखना आवश्यक होगा।
4. उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

क्रमांक-यूडीएच-2/0002/2022/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3797/टीसी/49/रीवा/ उपां / नग्रानि / 2021 भोपाल दिनांक 19/09/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रीवा विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	रीवा तह० हुजूर नगर जिला रीवा	58	1.433 हेक्टे० मे से 0.852	वर्तमान आवासीय, वर्तमान वाणिज्यिक, वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग	वाणिज्यिक तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
		464	0.807 हेक्टे० में से 0.169 हेक्टे०	वर्तमान आवासीय 18.00 मीटर चौड़ा मार्ग तथा नाले के किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण	वाणिज्यिक, 18.00 मीटर चौड़ा मार्ग तथा नाले के किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण
		465	0.077 हेक्टे०	वर्तमान आवासीय एवं नाले के किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण	वाणिज्यिक एवं नाले के किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण
2	चिरहुला तह० हुजूर नगर जिला रीवा	6	3.257 हेक्टे० में से 1.477 हेक्टे०	वर्तमान आवासीय, वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, 30.00 मीटर तथा 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग	वाणिज्यिक, 30.00 मीटर तथा 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग
		योग :-	कुल रकबा 2.575 हेक्टेयर		

शर्तें :-

1. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।
2. उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

क्रमांक-यूडीएच-3/0141/2022/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4022/टीसी/42/रीवा / उपां / नग्रानि / 2021 भोपाल दिनांक 30/09/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रीवा विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	समान तहसील 631/1 हुजूर नगर जिला रीवा		4.3070 हेक्टे० में से 1.5510 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक,अमोद-प्रमोद (कालोनी का पार्क) एवं कालोनी के आंतरिक मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
2.	समान तहसील 633 हुजूर नगर जिला रीवा		2.7650 हेक्टे० में से 1.3360 हेक्टे	अमोद-प्रमोद (कालोनी का पार्क) एवं कालोनी के आंतरिक मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
		योग :-	कुल रकबा 2.8870 हेक्टेयर		

शर्तें :-

1. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।
2. समान तिराहे से पीटीएस की और एसएएफ चौक तक जाने वाले वर्तमान मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर निर्दिष्ट है। अतः मार्ग मध्य से 9.00 -9.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थल के पूर्व एवं दक्षिण दिशा में स्थित मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर रखा जाना अनिवार्य होगा।
3. स्थल पर स्थित विद्युत लाईन से म०प्र० भूमि विकास नियम, 2012 तथा ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक क्षेत्र खुला रखना आवश्यक होगा।
4. उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्रमांक-आर-981288/2501/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 24°30'57.3" से 24°31'7.43" उत्तर अक्षांश तथा 82°16'16.86" से 782°016'22.49" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- सीधी
वनमण्डल - सीधी

तहसील - बहरी
वन परिक्षेत्र - बहरी

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ	
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	खुटेली 'स'	खुटेली	पड़क भूमि	460/2	1.68	उत्तर- कृत्रिम सीमा रेखा प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड खुटेली 'स' के मुनारा क्र. 1 से 3 तक। पूर्व - कृत्रिम सीमा रेखा प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड खुटेली 'स' के मुनारा क्र. 3 से 7 तक। दक्षिण- कृत्रिम सीमा रेखा प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड खुटेली 'स' के मुनारा क्र. 7. पश्चिम- कृत्रिम सीमा रेखा प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड खुटेली 'स' के मुनारा क्र. 7 एवं संरक्षित वनखण्ड खुटेली 'ब' मुनारा क्रमांक 3 व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 8 से 11 एवं 1
				योग	1.68	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6-MPB049/2021-BHO दिनांक 08 जून 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (यूजर एजेन्सी) की स्वीकृत परियोजना सीधी जिले के अन्तर्गत वनमण्डल सीधी अन्तर्गत 1.68 हेक्टेयर वनभूमि महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी को उपयोग पर देने बाबत मायापुर खुटेली, लौआर रोड से बिछरी सड़क के निर्माण में वनमण्डल सीधी की प्रभावित 1.68 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.68 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 1.68 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, सीधी के आदेश क्रमांक/0001/अ-19(3)/2020-21 दिनांक 29.07.2022 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार बहरी के प्रतिवेदन दिनांक 07.02.2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

आर-981288-2501-2022-दस-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-981288-2501-2022-दस-3 दिनांक 26 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th December, 2022

No.-R-981288/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 24°30'57.3" to 24°31'7.43" North Latitude and 82°16'16.86" to 82°16'22.49" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sidhi

Tahsil - Bahari

Forest Division - Sidhi

Forest Range - Bahari

S. No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Khuteli 'C'	Khuteli	Waste land	460/2	1.68	North - Artificial boundary line from pillar Number 1 to 3 of the proposed protected forest block Khuteli-C East - Artificial boundary line from pillar Number 3 to 7 of the proposed protected forest block Khuteli-C South - Artificial boundary line from pillar Number 7 of the proposed protected forest block Khuteli-C West - Artificial boundary line of the proposed protected forest block Khuteli-C pillar Number 7 and protected forest block Khuteli-B Pillar number 3 and the proposed protected forest block Pillar number 8 to 11 and 1.
				Total	32.50	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F.No.6-MPB049/2021-BHO dated 08 Jun 2021 and in lieu of 1.68 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Construction Mayapur-Khuteli Lauar Road to Bichhari of General Manager PMGSY PIU Sidhi the above mentioned Non forest land of 1.68 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No.0001/A-19(3)/2020-21 Dated 29.07.2020 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report date 07.02.2021 of Tehsildar Bahari are as under.

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Add. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्रमांक/2503/829168/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 16) की धारा-27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसमें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/917 h दिनांक 24.02.1879 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी।

अनुसूची

जिला :- नर्मदापुरम्
वनमंडल :- नर्मदापुरम्

तहसील - इटारसी
वनपरिक्षेत्र - इटारसी

अ. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वनकक्ष का क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मे.) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा (हेक्ट. में)	आरक्षित वन नहीं रहने का कारण	आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
1	2	3	4	5	6	6
1.	चौकिया	नीलगढ़	कक्ष क्र. आर.एफ. - 146	67.00	भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृती क्रमांक File No.8-09/2021-FC दिनांक 18.02.2022 की शर्त क्रमांक-1 के पालन में सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) नर्मदापुरम् की वनभूमि पर बसाये गये विस्थापित ग्राम की वनभूमि का निर्वनीकरण किया जाना है।	उत्तर सीमा- आरक्षित वनखण्ड नीलगढ़ की उत्तरी सीमा, कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक-171 से मुनारा क्रमांक-174 तक एवं मुनारा क्रमांक-174 से मुनारा क्रमांक-176 तक तथा मुनारा क्रमांक-176 से मुनारा क्रमांक-181 तक। विस्थापित /पुनर्वसित ग्राम साकई भाग-02 की दक्षिणी सीमा। पूर्व सीमा - आरक्षित वनखण्ड नीलगढ़ की पूर्वी सीमा मुनारा क्रमांक-181 से मुनारा क्रमांक-182 तक एवं मुनारा क्रमांक-182 से मुनारा क्रमांक-184 तक। संरक्षित वनखण्ड आमावद के कक्ष क्रमांक-पी-140 की पश्चिमी सीमा। दक्षिणी सीमा- नवीन कृत्रिम लाईन आरक्षित वनखण्ड नीलगढ़ के पुराना मुनारा क्रमांक-184 से नवीन मुनारा क्रमांक-184/1 तक एवं नवीन मुनारा क्रमांक-184/1 से नवीन मुनारा क्रमांक-6 तक तथा नवीन मुनारा क्रमांक-6 से नवीन मुनारा क्रमांक-7,10,11 होते हुए नवीन मुनारा क्रमांक-12 तक तथा नवीन मुनारा क्रमांक-12 से पुराना मुनारा क्रमांक-168 तक। पश्चिम सीमा - आरक्षित वनखण्ड नीलगढ़ की पश्चिमी सीमा मुनारा क्रमांक-168 से मुनारा क्रमांक-171 तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र.-2503-829168-2022-दस-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र.-2503-829168-2022-दस-3 दिनांक 26 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th December, 2022

No. 2592/829168/2022/10-3 :: In Exercise of powers conferred by Section 27 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Reserve Forest by the Notification Number/917h Date 24.02.1879 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Reserve Forest and with effect from the date of publication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department.

SCHEDULE

District :- Narmdapuram

Tehsil :- Itarsi

Forest Division :- Narmdapuram

Forest Range - Itarsi

S No.	Forest Beat	Forest Block	Forest Com No.	Area Cease to be Reserve Forest (Ha.)	Brief description of reasons for Ceasing Reserve Forest	Boundaries of Forest land Ceased to be Reserve Forest
1.	Choukiya	Nilghar	RF-146	67.00	The land is to be denotified for settlement of village relocated from Satpura Tiger Reserve, Narmdapuram vide the condition no 1 laid down in Sanction order No. 8-09/2021-FC Dated 18-02-2022 of Govt of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change.	<p>North:- North boundary of RF block Nilghar artificial line from pillar no.-171 to pillar no.-174 and pillar no.-174 to pillar no.-176 and pillar no.-176 to pillar no.-181. South boundary of relocated village Sakai Part-02.</p> <p>East:- East boundary of RF block Nilghar artificial line from pillar no.-181 to pillar no.-182 and pillar no.-182 to pillar no.-184.</p> <p>West Boundary of Compartment No. P-140 of PF Block Amavad.</p> <p>South:- Artificial new cut line from RF block Nilghar's old Pillar no.-184 to new pillar no.-184/1 and new pillar no.-184/1 to new pillar no.-6 and new pillar no.-6 to new pillar no.-7,10,11 through pillar no.-12 and pillar no-12 to old pillar no.-168.</p> <p>West:- South Boundary of RF Block Nilghar Artificial line from pillar no-168 to pillar no-171.</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK KUMAR, Add. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्रमांक/२५०३ / 829168 / 2022 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 16) की धारा-27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसमें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/917 h दिनांक 24.02.1879 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी।

अनुसूची

जिला :- नर्मदापुरम्
वनमंडल :- नर्मदापुरम्

तहसील - बाबई
वनपरिक्षेत्र - सोहागपुर

अ. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वनकक्ष का क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मे.) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा (हेक्ट. में)	आरक्षित वन नहीं रहने का कारण	आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
1	2	3	4	5	6	
1.	उत्तर बागड़ा	बागड़ा	कक्ष क्र. आर.एफ. - 225	100.00	भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृती क्रमांक File No. 8-23/2021-FC दिनांक 29 अप्रैल 2022 की शर्त क्रमांक-1 के पालन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) नर्मदापुरम् की वनभूमि पर बसाये गये विस्थापित ग्राम की वनभूमि का निर्वनीकरण किया जाना है।	उत्तर सीमा- आरक्षित वनखण्ड बागड़ा की उत्तरी सीमा, पुरानी कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-359 से नया मुनारा क्रमांक-360/1 तक एवं नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-360/1 से नया मुनारा क्रमांक-3 तक तथा नया मुनारा क्रमांक-3 से नया मुनारा क्रमांक-360/8 तक एवं नया मुनारा क्रमांक-360/8 से नया मुनारा क्रमांक-9,10,11 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-361/1 तक तथा पुरानी कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-361/1 से पुराना मुनारा क्रमांक-362 एवं पुराना मुनारा क्रमांक-362 से नया मुनारा क्रमांक-362/1 तक तथा नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-362/1 से नया मुनारा क्रमांक-2,3,4 से होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-364 पर एवं पुरानी कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-364 से पुराना मुनारा क्रमांक-369 तक। राजस्व ग्राम बागड़ा की सीमा। पूर्व सीमा - पुरानी कृत्रिम लाइन आरक्षित वनखण्ड बागड़ा के पुराना मुनारा क्रमांक-369 से पुराना मुनारा क्रमांक-370,373 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-374 तक। विस्थापित/पुनर्वसित ग्राम माना भाग-01 की सीमा। दक्षिणी सीमा- नवीन कृत्रिम लाइन के पुराना मुनारा क्रमांक-374 से नवीन मुनारा क्रमांक-374/1 तक एवं नवीन मुनारा क्रमांक-374/1 से नवीन मुनारा क्रमांक-5,8,9 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-353 तक। पश्चिम सीमा - आरक्षित वनखण्ड बागड़ा की पश्चिमी सीमा कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा

						क्रमांक-353/1 तक एवं नया मुनारा क्रमांक-353/1 से पुराना मुनारा क्रमांक-354,356,358 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-359 तक आंतरिक भू-खण्ड (इटारसी-जबलपुर रेलवे लाईन हेतु उपयोग भूमि) जिसमें सीमा नया मुनारा क्रमांक-3 से नया मुनारा क्रमांक-360/8 तक एवं मुनारा क्रमांक-360/8 से पुराना मुनारा क्रमांक-353 तक तथा मुनारा क्रमांक-353 से नया मुनारा क्रमांक-353/1 तक एवं नया मुनारा क्रमांक-353/1 से नया मुनारा क्रमांक-7,6,5, 360/4 होते हुए मुनारा क्रमांक-3 तक निरूपित है। (छोड़ते हयें)
--	--	--	--	--	--	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र.-2503-829168-2022-दस-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक -2503-829168-2022-दस-3 दिनांक 26 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th December, 2022

No/2507/829168/2022/10-3 :: In Exercise of powers conferred by Section 27 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Reserve Forest by the Notification Number /917h Date- 24.02.1879 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Reserve Forest and with effect from the date of publication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department.

SCHEDULE**District :- Narmdapuram****Forest Division :- Narmdapuram****Tehsil :- Babai****Forest Range :- Sohagpur**

S No.	Forest Beat	Forest Block	Forest Com No.	Area Cease to be Reserve Forest (Ha.)	Brief description of reasons for Ceasing Reserve Forest	Boundaries of Forest land Ceased to be Reserve Forest
1.	North Bagra	Bagra	RF-225	100.00	The land is to be denotified for settlement of village relocated from Satpura Tiger Reserve, Narmdapuram vide the condition no 1 laid down in Sanction order No. File No. 8-23/2021-FC Dated 29.04.2022 of Govt of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change.	<p>North:- North boundary of RF block Bagra old Artificial line from old Pillar no.-359 to new Pillar no.-360/1 and new artificial Cut line New Pillar no.-360/1 to new Pillar no.-3 and New Pillar no.-3 to New Pillar no.-360/8 and New Pillar no.-360/8 to new Pillar no.-9,10,11 through new Pillar no.-361/1 and old artificial line from new Pillar no.-361/1 to old Pillar no.-362 and old Pillar no.-362 to new pillar no.-362 and new Artificial Cuted line from New Pillar no.-362/1 to New Pillar no.-2,3,4 through Old Pillar no.-364 and old Artificial line old Pillar no.-364 to old Pillar no.-369. Boundry of revenue village bagra.</p> <p>East:- Old Artificial line from old Pillar no.-369 to old Pillar no.-370,373 through old Pillar no.-374 of RF block Bagra. West boundry of Relocated village Mana Part-01.</p> <p>South:- Artificial new cut line from old Pillar no.-374 to new pillar no.-374/1 and new pillar no.-374/1 to new pillar no.-5,8,9 through old pillar no.-353.</p> <p>West:- west boundary of RF block Bagra, Artificial line from old pillar no.-353 to new Pillar no.-353/1 and new pillar no.-353/1 to old pillar no.-354,356,358 through old pillar no.-359. Excluding patch (Land use for Itarsi -Jabalpur Railway Line) surrounded by new Pillar no.-3 to</p>
						new Pillar no.-360/8 and new Pillar no.-360/8 to old Pillar no.-353 and old Pillar no.-353 to Pillar no.-353/1 and new Pillar no.-353/1 to new Pillar no.-7,6,5,360/4 through new Pillar no.-3

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Add. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्रमांक/२५०३ / 829168 / 2022 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा-34(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसमें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/9-X/58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी।

अनुसूची

जिला :- नर्मदापुरम्
वनमंडल :- नर्मदापुरम्

तहसील - इटारसी एवं सोहागपुर
वनपरिक्षेत्र - इटारसी एवं सोहागपुर

अ. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष का क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मै.) जो संरक्षित वन नहीं रहेगा (हेक्ट. मै)	संरक्षित वन नहीं रहने का कारण	संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
1	2	3	4	5	6	7
1.	टांगना	खोरी	कक्ष क्र.- पी.एफ. -179	50.00	भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृती क्रमांक File No. 8-23/2021-FC दिनांक 29 अप्रैल 2022 की शर्त क्रमांक-1 के पालन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) नर्मदापुरम् की वनभूमि पर बसाये गये विस्थापित ग्राम की वनभूमि का निर्वनीकरण किया जाना है।	उत्तर सीमा- नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड खोरी के पुराना मुनारा क्रमांक-71 से नये मुनारा क्रमांक-71/1,2,3,4,5 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-6 तक। पूर्व सीमा - संरक्षित वनखण्ड खोरी की उत्तरी सीमा, कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-6 से नया मुनारा क्रमांक-8,11,15 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-16 तक एवं नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-16 से नया मुनारा क्रमांक-17,18, 19,23 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-24 तक। दक्षिणी सीमा - नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-24 से नया मुनारा क्रमांक-25,28 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-29 तक। पश्चिम सीमा- नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-29 से संरक्षित वनखण्ड खोरी के पुराना मुनारा क्रमांक-57 एवं पुरानी कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-57 से पुराना मुनारा क्रमांक-64 तक तथा मुनारा क्रमांक-64 से पुराना मुनारा क्रमांक-66,67,70 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-71 तक।
2.	गोलण्डोह	खोरी	कक्ष क्र.- पी.एफ. -174	110.00		उत्तर सीमा- संरक्षित वनखण्ड खोरी की उत्तरी सीमा, कृत्रिम लाइन वनग्राम गोलण्डोह के मुनारा क्रमांक-5/13 से मुनारा क्रमांक-7,8,13,14,15,16 से होते हुए मुनारा क्रमांक-17 तक एवं मुनारा क्रमांक-17 से मुनारा क्रमांक-1,4,6,8 होते हुए मुनारा क्रमांक-9 तक तथा मुनारा क्रमांक-9 से मुनारा क्रमांक-12,14,16,18

					<p>होते हुए मुनारा क्रमांक-20 तक एवं मुनारा क्रमांक-20 से मुनारा क्रमांक-22,24 होते हुए वनग्राम गोलनडोह के मुनारा क्रमांक-11 तक।</p> <p>पूर्व सीमा - कृत्रिम लाइन वनग्राम गोलनडोह के मुनारा क्रमांक-11 से संरक्षित वनखण्ड खोरी के मुनारा क्रमांक-25,27 होते हुए मुनारा क्रमांक-29 तक एवं मुनारा क्रमांक-29 से आरक्षित वनखण्ड नीलगढ़ के मुनारा क्रमांक-89 तक।</p> <p>दक्षिणी सीमा - नवीन कृत्रिम लाइन आरक्षित वनखण्ड नीलगढ़ के मुनारा क्रमांक-89 से नया मुनारा क्रमांक-89/1 एवं नया मुनारा क्रमांक-89/1 से नया मुनारा क्रमांक-7 तक।</p> <p>पश्चिम सीमा- कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड खोरी के नया मुनारा क्रमांक-07 से नया मुनारा क्रमांक-9,10,12,13 होते हुए वनग्राम गोलनडोह के मुनारा क्रमांक-5/13 तक।</p>
3.	पथरई	पथरई	कक्ष क्र.- पी.एफ. -273	79.80	<p>उत्तर सीमा- संरक्षित वनखण्ड पथरई की उत्तरी सीमा, कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक-1 से मुनारा क्रमांक-3 तक एवं मुनारा क्रमांक-3 से मुनारा क्रमांक-7 तक तथा मुनारा क्रमांक-7 से मुनारा क्रमांक-8,9,10,11 होते हुए मुनारा क्रमांक-12 तक एवं मुनारा क्रमांक-12 से मुनारा क्रमांक-13,16,19 होते हुए मुनारा क्रमांक-20 तक। राजस्व सीमा।</p> <p>पूर्व सीमा - नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड पथरई के मुनारा क्रमांक-20 से नया मुनारा क्रमांक-25/1 तक एवं नया मुनारा क्रमांक-25/1 से नया मुनारा क्रमांक-3 तक।</p> <p>दक्षिणी सीमा - नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-3 से नया मुनारा क्रमांक-4,5,7,10 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-14 तक। विस्थापित/पुनर्वसित ग्राम काजरी की उत्तरी सीमा।</p> <p>पश्चिम सीमा- संरक्षित वनखण्ड पथरई की पश्चिमी सीमा के नया मुनारा क्रमांक-14 से पुराना मुनारा क्रमांक-1 तक। विस्थापित/पुनर्वसित ग्राम बोरी की पूर्वी सीमा।</p>
			योग	239.80	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र.-2503-829168-2022-दस-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-2503-829168-2022-दस-3 दिनांक 26 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th December, 2022

No./2593/829168/2022/10-3 :: In Exercise of powers conferred by Section 34(A) of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as protected Forest by the Notification Number/ 9-X/58 Date **10 July 1958** of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest and with effect from the date of publication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department

SCHEDULE**District :- Narmadapuram****Forest Division :-Narmadapuram****Tehsil :- Itarsi****Forest Range - Itarsi**

S. No	Forest Beat	Forest Block	Forest Com. No.	Area Cease to be Protected Forest (Ha.)	Brief description of reasons for Ceasing Protected Forest	Boundaries of Forest land Ceased to be Protected Forest
1.	Tangana	Khori	PF-179	50.00	The forest land is to be denotified for settlement of villages relocated from Satpura Tiger Reserve, Narmadapuram in compliance of condition no 1 laid down in Sanction order No. File No. 8-23/2021-FC Dated 29.04.2022 of Govt of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change.	<p>North:- Artificial new cut line from old Pillar no-71 of PF block Khori to new Pillar no.-71/1,2,3,4,5 through new Pillar no.-6.</p> <p>East:- North boundry of PF block Khori Artificial line from new Pillar no.-6 to new pillar no.-8,11,15 through new Pillar no.-16 and Artificial new cut line from new Pillar no-16 to new Pillar no.-17,18,19,23 through new Pillar no.-24.</p> <p>South:- Artificial new cut line from new Pillar no.-24 to new Pillar no.-25,28, through new Pillar no.-29.</p> <p>West:- Artificial new cut line from new Pillar no.-29 to old Pillar no.-57 of PF block Khori and Artificial line from old Pillar no.-57 to old Pillar no.-64 and old Pillar no.-64 to old Pillar no.-66,67,70 through old Pillar no.-71.</p>
2.	Golandoh	Khori	PF-174	110.00		<p>North:- North boundary of PF block Khori, Artificial line from Forest Village Golandoh's Pillar no.-5/13 to Pillar no.-7,8,13,14,15,16 through Pillar no.-17 and Pillar no.-17 to Pillar no.-1,4,6,8 through Pillar no.-9 and Pillar no.-9 to Pillar no.-12,14,16,18 through Pillar no.-20 and Pillar no.-20 to Pillar no.-22,24 through Pillar no-11 of Forest Village Golandoh.</p> <p>East:- Artificial line from Pillar no.-11 of Forest Village Golandoh to Pillar no.-25,27 through Pillar no.-29 of PF block Khori and Pillar no.-</p>

					29 to Pillar no.-89 of RF block Nilghar South:- Artificial new cut line from Pillar no.-89 of RF block Nilghar to new Pillar no.-89/1 and new Pillar no.-89/1 to new Pillar no.-7. West:- Artificial line from PF block Khori's new Pillar no.-7 to new Pillar no.-9,10,12,13 through Pillar no.-5/13 of forest village Golandoh.
3.	Pathrai	Pathrai	PF-273	79.80	North:- North boundary of PF block Pathrai, Artificial line from Pillar no-1 to Pillar no.-3 and Pillar no.-3 to Pillar no.-7 and Pillar no.-7 to Pillar no.-8,9,10,11 through Pillar no.-12 and Pillar no.-12 to Pillar no.-13,16,19 through Pillar no.-20 East:- Artificial line from Pillar no.-20 to new Pillar no.-25/1 and new Pillar no.-25/1 to new Pillar no.-3. South:- Artificial new cut line from new Pillar no.-3 to new Pillar no.-4,5,7,10 through new Pillar no.-14. North Boundary of Relocated Village Kajri. West:- West Boundary of PF block Pathrai, Artificial line New Pillar no.-14 to Pillar no.-1. East Boundary of Relocated Village Bori.
			Total	239.80	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK KUMAR, Add. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्रमांक/२५०३ / 829168 / 2022 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा-34(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसमें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/9-X/58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी।

अनुसूची

जिला :- नर्मदापुरम्
वनमंडल :- नर्मदापुरम्

तहसील :- इटारसी
वन परिक्षेत्र :- इटारसी

अ. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष का क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मे.) जो संरक्षित वन नहीं रहेगा	संरक्षित वन नहीं रहने का कारण	संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
1	2	3	4	5	6	7
1.	इमली पानी	खोरी	कक्ष क्र.- पी.एफ.-180	38.00	भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृती क्रमांक File No. 8-12/2021-FC दिनांक 24.02.2022 की शर्त क्रमांक-1 के पालन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) नर्मदापुरम् की वनभूमि पर बसाये गये विस्थापित	उत्तर सीमा- नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-10 से नया मुनारा क्रमांक-11/80 तक तथा संरक्षित वनखण्ड खोरी की उत्तरी सीमा, कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-11/80 से पुराना मुनारा क्रमांक-81,82 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-83 तक। राजस्व सीमा। पूर्व सीमा - संरक्षित वनखण्ड खोरी की पूर्वी सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-83 से पुराना मुनारा क्रमांक-85 तक तथा पुराना मुनारा क्रमांक-85 से पुराना मुनारा क्रमांक-86,88,90 होते हुए मुनारा क्रमांक-91 तक। राजस्व सीमा। दक्षिणी सीमा - संरक्षित वनखण्ड खोरी की सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-91 से नया मुनारा क्रमांक-91/1 तक एवं नया मुनारा क्रमांक-91/1 से नया मुनारा क्रमांक-2,3 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-4 तक। पश्चिम सीमा- नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-4 से नया मुनारा क्रमांक-5,6 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-7 तक एवं नया मुनारा क्रमांक-7 से नया मुनारा क्रमांक-8,9 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-10 तक। आंतरिक भू-खण्ड (निजी भूमि) जिसमें सीमाएं नया मुनारा क्रमांक-6 से नया मुनारा क्रमांक-83/1 तक एवं नया मुनारा क्रमांक-83/1 से नया मुनारा क्रमांक-2,3,4 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-5 तक एवं नया मुनारा क्रमांक-5 से नया मुनारा क्रमांक-8 तक। निरूपित है। (छोड़ते हुये)

		कक्ष क्र.- पी.एफ.-180 (भाग)	49.00	<p>उत्तर सीमा- संरक्षित वनखण्ड खोरी की सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-102 से पुराना मुनारा क्रमांक-104, 105 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-106 तक एवं पुराना मुनारा क्रमांक-106 से पुराना मुनारा क्रमांक-107,108 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-109 तक। राजस्व सीमा।</p> <p>पूर्व सीमा - संरक्षित वनखण्ड खोरी की पूर्वी सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-109 से पुराना मुनारा क्रमांक-110, 111, 113, 117 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-119 तक तथा नवीन कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-119 से नया मुनारा क्रमांक- 119/1, 2 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-3 तक।</p> <p>दक्षिणी सीमा - नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-3 से नया मुनारा क्रमांक-5,7,8 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-10 तक।</p> <p>पश्चिम सीमा- कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-10 से नया मुनारा क्रमांक-12,14 होते हुए संरक्षित वनखण्ड खोरी के पुराना मुनारा क्रमांक-92 तक एवं संरक्षित वनखण्ड की सीमा पुराना मुनारा क्रमांक-92 से पुराना मुनारा क्रमांक-94 तक तथा नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड खोरी के पुराना मुनारा क्रमांक-94 से नया मुनारा क्रमांक- 94 / 1,2,3,4,5, होते हुए नया मुनारा क्रमांक-6 तक एवं नया मुनारा क्रमांक-6 से नया मुनारा क्रमांक-7,8,9 होते हुए संरक्षित वनखण्ड खोरी के पुराना मुनारा क्रमांक-97 तक तथा संरक्षित वनखण्ड खोरी की सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-97 से पुराना मुनारा क्रमांक-98,99,101 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-102 तक।</p>
		योग :-	87.00	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र.-2503-829168-2022-दस-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र.-2503-829168-2022-दस-3 दिनांक 26 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th December, 2022

No. 2503/829168/2022/10-3 :: In Exercise of powers conferred by Section 34(A) of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as protected Forest by the Notification Number/ 9-X/58 Date 10 July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest and with effect from the date of publication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department

SCHEDULE

District :- Narmadapuram
Forest Division :- Narmadapuram

Tehsil :- Itarsi
Forest Range :- Itarsi

S. No.	Forest Beat	Forest Block	Forest Com. No.	Area Cease to be Protected Forest (Ha.)	Brief description of reasons for Ceasing Protected Forest	Boundaries of Forest land Ceased to be Protected Forest
1.	Imlipani	Khori	PF-180	38.00	The forest land is to be denotified for settlement of villages relocated from Satpura Tiger Reserve, Narmadapura m in compliance of condition no 1 laid down in Sanction order No. File No. 8-12/2021-FC Dated 24.02.2022 of Govt of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	<p>North:- New Artificial cut line from new Pillar no.-10 to new Pillar no.-11/80 and North boundary of Protected forest, Artificial cut line from new Pillar no.-11/80 to old Pillar no.-81,82 through old Pillar no.-83. Revenue Boundary.</p> <p>East:- East boundary of protected forest block Khori, Artificial cut line from old Pillar no.-83 to old Pillar no.-85 and old Pillar no.-85 to old Pillar no.-86, 88, 90 through Pillar no.-91. Revenue Boundary.</p> <p>South:- Boundary of Protected forest block Khori, Artificial line from old Pillar no.-91 to new Pillar no.-91/1 and new Pillar no.-91/1 to Pillar no.-2,3 through new Pillar no.-4.</p> <p>West:- New Artificial cut line of new Pillar no.-4 to new Pillar no.-5,6 through new Pillar no.-7 and new Pillar no.-7 to new Pillar no.-8,9 through new Pillar no.-10.</p> <p>Excluding patch (Private Land) surrounded by new Pillar no.-6 to new Pillar no.-83/1 and new Pillar no.-83/1 to new Pillar no.-2,3,4 through new Pillar no.-5 and new Pillar no.-5 to new Pillar no.-6.</p>

			PF-180 (Part-02)	49.00		<p>North :- Boundary of Protected forest block Khori, Artificial line from old Pillar no.-102 to old Pillar no.-104,105 through old Pillar no.-106 and old Pillar no.-106 to old Pillar no.-107,108 through old Pillar no.-109. Revenue Line.</p> <p>East :- Boundary of Protected forest block Khori, Artificial line from old Pillar no.-109 to old Pillar no.-110,111,113,117 through old Pillar no.-119 and New Artificial cut line from old Pillar no.-119 to new Pillar no.-119/1,2 through Pillar no.-3.</p> <p>South:- New Artificial cut line from new Pillar no.-3 to new Pillar no.-5,7,8 through new Pillar no.-10.</p> <p>West:- Artificial line of new Pillar no.-10 to new Pillar no.-12,14 through old Pillar no.-92 of Protected Forest block Khori and Boundary of Protected Forest Block Khori, Artificial line From old Pillar no.-92 to old Pillar No.-94 and New artificial cut line from old Pillar no.-94 of Protected Forest block Khori to New Pillar No.-94/1,2,3,4,5 through new Pillar no.-6 and new Pillar no.-6 to new Pillar no.-7,8,9 through old Pillar no.-97 of Protected Forest of khori, and Boundary of Protected Forest Block Khori, Artificial Line old Pillar no.-97 to old Pillar no.-98,99,101 through Pillar no.-102.</p>
			Total	87.00		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK KUMAR, Add. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्रमांक 2503 / 829168 / 2022 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 16) की धारा-27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिससे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/917 h दिनांक 24.02.1879 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राज्य विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी।

अनुसूची

जिला :- नर्मदापुरम्
वनमंडल :- नर्मदापुरम्

तहसील :- इटारसी
वनपरिक्षेत्र :- इटारसी

अ. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वनकक्ष का क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मै.) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा	आरक्षित वन नहीं रहने का कारण	आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
1	2	3	4	5	6	7
1.	दक्षिण खारदा	डूंडादेह	कक्ष क्र. आर.एफ. - 193	66.00	भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृती क्रमांक File No. 8-20/ 2021-FC दिनांक 18.02. 2022 की शर्त क्रमांक-1 के पालन में सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) नर्मदापुरम् की वनभूमि पर बसाये गये विस्थापित ग्राम की वनभूमि का निर्वनीकरण किया जाना है।	उत्तर सीमा- आरक्षित वनखण्ड डूंडादेह की उत्तरी सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-614 से पुराना मुनारा क्रमांक-515, 518,519 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-520 तक। विस्थापित/पुनर्वसित ग्राम धाई की सीमा। पूर्व सीमा - आरक्षित वनखण्ड डूंडादेह की पूर्वी सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-520 से पुराना मुनारा क्रमांक-521,523 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-524 तक एवं आरक्षित वनखण्ड डूंडादेह के कक्ष क्रमांक-पी-192 की पश्चिमी सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-524 से नया मुनारा क्रमांक-524/1,2,3,4 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-5 तक। दक्षिणी सीमा- नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-5 से नया मुनारा क्रमांक-6,7,8 होते हुए आरक्षित वनखण्ड डूंडादेह के पुराना मुनारा क्रमांक-509 तक। पश्चिम सीमा - आरक्षित वनखण्ड डूंडादेह की सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-509 से पुराना मुनारा क्रमांक-510,512,513 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-514 तक। आंतरिक भू-खण्ड उत्तर सीमा- कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-18 से नया मुनारा क्रमांक-513/1,2, 3,4,5,6 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-7 तक। पूर्व सीमा- कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-7 से नया मुनारा क्रमांक-8,9,10,12 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-13 तक। दक्षिण सीमा- कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-13 से नया मुनारा क्रमांक-16 तक।
						पश्चिम सीमा- कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक- 16 से नया मुनारा क्रमांक-18 तक। निरूपित है। (छोड़ते हुये)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र.-2503-829168-2022-दस-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र.-2503-829168-2022-दस-3 दिनांक 26 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th December, 2022

No. ~~2503~~ 829168/2022/10-3 :: In Exercise of powers conferred by Section 27 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Reserve Forest by the Notification Number /917h Date- 24.02.1879 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Reserve Forest and with effect from the date of publication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department.

SCHEDULE**District :- Narmdapuram****Tehsil :- Itarsi****Forest Division :- Narmdapuram****Forest Range - Itarsi**

S No.	Forest Beat	Forest Block	Forest Com No.	Area Cease to be Reserve Forest (Ha.)	Brief description of reasons for Ceasing Reserve Forest	Boundaries of Forest land Ceased to be Reserve Forest
1.	South Kharda	Dundadeh	RF-193	66.00	The forest land is to be denotified for settlement of villages relocated from Satpura Tiger Reserve, Narmdapuram in compliance of condition no 1 laid down in Sanction order No. File No. 8-23/2021-FC Dated 18.02.2022 of Govt of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	<p>North:- North boundary of RF block Dundadeh Artificial line from old Pillar no.-514 to old Pillar no.-515,518,519 through old Pillar no.-520.</p> <p>East:- East boundary of RF block Dundadeh, Artificial line from old Pillar no.-520 to old Pillar no.-521,523 through old Pillar no.-524 and West Boundary of Compartment No. P-192 of RF Block Dundadeh, Artificial line from old Pillar no.-524 to new Pillar no.-524/1,2,3,4 through new Pillar no.-5.</p> <p>South:- Artificial new cut line of new Pillar no.-5 to new Pillar no-6,7,8 through old Pillar no.-509 of RF Dundadeh.</p> <p>West:- Boundary of RF block Dundadeh, artificial line from old Pillar no-509 to old Pillar no-510, 512,513 through old Pillar no.-514.</p> <p>Excluding patch</p> <p>North:- Artificial line new Pillar no.-18 to new Pillar no.-513/1,2,3,4,5,6 through new Pillar no.-7.</p> <p>East:- Artificial line new Pillar no.-7 to new Pillar no.-8,9,10,12 through new Pillar no.-13.</p> <p>South:- Artificial line new Pillar no.-13 to new Pillar no.-16.</p> <p>West:- Artificial line new Pillar no.-16 to new Pillar no.-18.</p>
			Total	66.00		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK KUMAR, Add. Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

क्रमांक-एफ-3/17/2022/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3793/टीसी/82/ भोपाल / उपां / नग्रानि / 2022 भोपाल दिनांक 19/09/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	कलखेड़ा तहसील हुजूस जिला भोपाल	108	10.240 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना)
		योग :-	कुल रकबा 10.240 हेक्टेयर		

शर्तें :-

1. म०प्र०शासन पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 16/03/2022 द्वारा अधिसूचित वेटलैण्ड नियम, 2017 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
2. स्थल के पश्चिम दिशा में स्थित विद्यमान मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मीटर रखा जाना आवश्यक होगा। अतः मार्ग मध्य से दोनों ओर 6.00 मीटर-6.00 मीटर भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
3. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी
4. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा।

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्रमांक-यूडीएच-0099/2022/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4016/टीसी/102/ भोपाल / उपां / नग्रानि / 2022 भोपाल दिनांक 30/09/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	हताईखेड़ा तहसील हुजूर जिला भोपाल	77	1.0520 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं मार्ग
		योग :-	कुल रकबा 1.0520 हेक्टेयर		

शर्तें :-

1. स्थल के उत्तर दिशा में स्थित विद्यमान मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 18.00 मीटर रखा जाना आवश्यक होगा । अतः मार्ग मध्य से दोनों ओर 9.00 मीटर -9.00 मीटर भूमि तथा पश्चिम दिशा में भूमि से लगकर भोपाल विकास योजना 2031 (प्रारूप) में प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़े मार्ग से प्रभावित भूमि को मार्ग हेतु सुरक्षित रखा जाना आवश्यक होगा ।
2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

यूडीएच/2/0007/2022/18-5 एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क (1) के अन्तर्गत अशोकनगर विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्र. एफ-3-4-2007-बत्तीस दिनांक 03 मार्च 2007 को निरस्त करते हुए अशोकनगर विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है। यह समिति अधिनियम की धारा 17-क-(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

अधिनियम की धारा 17-क(1)	पदनाम	संस्था का नाम	समिति में पद
1	2	3	4
(क)	अध्यक्ष	नगर पालिका, अशोकनगर	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, अशोकनगर	सदस्य
(ग)	सांसद	संसदीय क्षेत्र गुना	सदस्य
(घ)	विधायक	विधानसभा क्षेत्र, अशोकनगर	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी/साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, अशोकनगर	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, मारुफ	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत पड़रिया	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत बरखेड़ी	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत आबरी	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत पछारी	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत टकनेरी	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत बांसाखेड़ी	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत मनकपुर	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत रुसुल्लाखुर्द	सदस्य
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत मेहरीराय	सदस्य
	11. सरपंच	ग्राम शंकरपुर	सदस्य
	12. सरपंच	ग्राम पंचायत इटावा	सदस्य
	13. सरपंच	ग्राम पंचायत मलखेड़ी	सदस्य
	14. सरपंच	ग्राम पंचायत रुसुल्ला बुजुर्ग	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	काउंसिल आफ आर्किटेक्चर	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	ईस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स इण्डिया	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	ईस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	कलेक्टर जिला अशोकनगर	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	वनमंडलाधिकारी, अशोकनगर	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	कार्यपालनयंत्री लोक निर्माण विभाग, अशोकनगर	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	कार्यपालनयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विभाग,	सदस्य
(झ)	समिति संयोजक	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला ग्वालियर	समिति संयोजक

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

क्रमांक-यूडीएच-2/0006/2022/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4197/टी सी / 131 /जबलपुर/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल दिनांक 12/10/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	चांटी (वार्ड नं. 75) तहसील आधारतालजिला जबलपुर	105/1 105/3,	0.6000 हेक्टेयर	कृषि एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
		योग :-	कुल रकबा 0.6000 हेक्टेयर		

नोट:-

- 1 प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व दिशा में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई 60.00 मीटर प्रस्तावित है, अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा ।

शर्तें

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियों मान्य होगी ।
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, तथा विकास मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं जबलपुर विकास योजना 2021 के प्रावधानानुसार लागू होंगे ।
3. उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ-3-120/2021/18-5:- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा दमोह निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्—

1. आयुक्त, सागर संभाग सागर म0प्र0।
2. कलेक्टर, जिला दमोह म0 प्र0।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर म.प्र.।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, दमोह म.प्र.।

2/ दमोह विकास योजना (प्रारूप) 2035 को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-19(2) में जारी सूचना दिनांक 04/04/2022 (म0प्र0राजपत्र में दिनांक 08/04/2022 को प्रकाशित) पर निश्चित समयावधि में प्राप्त आपत्ति /सुझावों पर सुनवाई के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

उक्त सूचना अनुसार अध्याय-4 मानचित्र क्रमांक-4.1 तथा अध्याय-3 मानचित्र क्रमांक-3.2 ग्राम लाइनबाग पर प्रस्तावित 18.00 मीटर चौड़े वृत्त खण्ड स्तरीय मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मीटर रखी जाती है "।

3/ यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2022

क्र.-एफ-3-120-2021-अठारह-5- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-120-2021-अठारह-5 दिनांक 29 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th December, 2022

No. F-3-120/2021/18-5: Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Damoh (Planning Area) 2035 under sub-section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:-

1. Commissioner, Sagar division Sagar M.P.
2. Collector, District Damoh, MP
3. Joint Director, Town & Country Planning, District Office Sagar, MP
4. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Damoh M.P.

2/ Objections/ suggestions received within the stipulated time period on the notification dated 04-04-2022 (published in State Gazette on 08-04-2022) regarding modification in Damoh Development Plan (Draft) 2035 were heard and it has been decided that :-

" As per the above notice, the proposed width of 18 m wide circle section road in village Ladenbagh, in chapter-4 Map no. 4.1 and chapter 3 Map no. 3.2 has been Kept as 12 m. "

3/ The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in M.P. Gazettee under section 19 (5) of M.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2022

क्रमांक-यूडीएच-3/0152/2022/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4008/टी सी / 111 /रायसेन/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल दिनांक 30/09/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रायसेन विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	रायसेन तहसील रायसेन जिला	394	0.1250 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
2	रायसेन	395	0.0160 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग	अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग
3		396	0.0930 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग	अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग
4		398	0.2570 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, आवासीय, एवं मार्ग	अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग
5		405	0.5100 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय एवं मार्ग	वर्तमान आवासीय एवं मार्ग
6		406	0.4050 हेक्टेयर	आवासीय एवं आंशिक सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	आंशिक सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
7		407	0.0160 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग	अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग
8		408	0.0440 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय एवं मार्ग	वर्तमान आवासीय एवं मार्ग
9		409	0.0440 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय एवं मार्ग	वर्तमान आवासीय एवं मार्ग
10		410	0.0040 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय एवं मार्ग	वर्तमान आवासीय एवं मार्ग
11		411	0.0360 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय एवं मार्ग	वर्तमान आवासीय एवं मार्ग
		योग :-	कुल रकबा 1.55 हेक्टेयर		

शर्तें

1. स्थल के पश्चिम दिशा में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-86 की प्रस्तावित चौड़ाई 80.00 मीटर है। अतः मार्ग मध्य से दोनों ओर 40.00 मीटर भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।
3. उपरोक्त उपांतरण रायसेन विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ, भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

क्रमांक : एफ-07/01//2021/तेरह : यह कि आवेदक, मेसर्स पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड, इंदौर, जिसका पंजीकृत कार्यालय सौदामिनि, प्लॉट न. - 2, सेक्टर - 29, गुरुग्राम हरियाणा है, तहसील नागदा, जिला उज्जैन में स्थापित अपने 85 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 400/220 केव्ही सब-स्टेशन, नागदा तक 220 केव्ही सिंगल सर्किट शिरोपरि पारेषण लाईन, जिसकी रूट लंबाई लगभग 4.0 किमी है, के निर्माण, संचालन एवं रख-रखाव का इरादा रखता है।

और यह कि आवेदक मेसर्स पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड, इंदौर द्वारा उपरोक्त 220 केव्ही सिंगल सर्किट शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान करने बावत आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित पारेषण लाईन मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में है।

अतएव प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अधीन मेसर्स पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड, इंदौर को उपरोक्त 220 केव्ही पारेषण लाईन का निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों पर अनुमति प्रदान करता है :-

- (i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति को उल्लेखित शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा।
- (ii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी, अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से "राइट ऑफ वे" (आर.ओ.डब्लू.) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) आवेदक कंपनी, उपरोक्त पारेषण लाईन, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान और लाईन ओरिएंटेशन के अनुसार म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी की पारेषण लाईन से संबद्ध करेगी।

- (iv) आवेदक कंपनी द्वारा पारेषण लाईन का निर्माण कार्य उसके द्वारा प्रस्तुत टोपो शीट पर चिह्नित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा।
- (v) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईन का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों / विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 (यथा संशोधित) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 (यथा संशोधित) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2011 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
- (vi) आवेदक कंपनी को गांवों/शहरों के उन भूमि मालिकों से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा, जिनकी भूमि पर लाईन के टावरों को खड़ा किया जाना है।
- (vii) पारेषण लाईन के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा।
- (viii) यदि लाईन के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है, तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी।
- (ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाईन के विद्यमान पारेषण लाईनों, राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग, नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी।
- (x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाईन पास करने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी। हालांकि लाईन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- (xi) यदि प्रस्तावित लाईन दूरसंचार लाईनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती है, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
- (xii) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईन को ऊर्जाकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- (xiii) प्रस्तावित लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाईन को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को अपने व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (xiv) प्रस्तावित लाईन के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा।
- (xv) यदि आवेदक कंपनी की लाईन पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है, तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।
- (xvi) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय-समय पर संशोधित संविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी।
- (xvii) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्वों से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी।
- (xviii) लाईन के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है। आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधि के भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन और म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा।
- (xix) राज्य सरकार उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमोदन को वापस या रद्द कर सकती है।
- (xx) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर, यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी।

No. F-7-01-2021-13.

Bhopal. the 27th December. 2022

Whereas, the applicant M/s Power Grid Energy Services Ltd., having Registered Office at Saudamini, Plot no. 2, Sector - 29, Gurugram, Haryana, intends to construct, operate & maintain a dedicated 220 KV single circuit overhead transmission line having a route length of approx. 4.0 Km from their 85 MW Solar Power Generating Plant at Nagda, District Ujjain to 400/220 KV, Nagda Substation of MP Power Transmission Company Ltd.

And whereas, the applicant M/s Power Grid Energy Services Ltd., Indore has applied for the permission to construct the above 220 KV single circuit overhead transmission line under Section 68 of the Electricity Act 2003. Proposed transmission line is situated in Ujjain District of MP.

Now therefore, the State Government after consideration of the application received, hereby accords permission to M/s Power Grid Energy Services Ltd., Indore, under Section 68 of the Electricity Act 2003, for construction of above mentioned 220 KV overhead line, on the following terms and conditions:-

- i. The permission accorded under Section 68 of the Electricity Act, 2003 shall be limited up to specific purpose of laying/construction of the overhead transmission line as mentioned above.
- ii. The applicant Company shall be responsible to obtain "Right of Way" (RoW) clearance from District Magistrate, concerned departments and land owners at its own cost.
- iii. The applicant Company, shall terminate the transmission line at MPPTCL's substation/line in accordance with the Lay-out plan & line orientation as approved by MPPTCL.
- iv. The construction of transmission line will be done by the Applicant Company as per proposed route as marked on the topo sheet.

- v. The construction of proposed line will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act-2003 as amended time to time and rules & regulations framed there under and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2010 (as amended), CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2010 (as amended) and CEA (Safety Requirements for construction, operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2011 (as amended).
- vi. The Applicant Company will be required to obtain "NO OBJECTION CERTIFICATE" from land owners of the Villages / Towns on whose land, support towers are to be erected.
- vii. The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission line will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority.
- viii. In case cutting of trees is required for construction of line, the Applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority.
- ix. In case of proposed crossing of the overhead line with existing Transmission lines, National / State highway, river, railway track, the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority.
- x. In case the line is proposed to pass over the forest land, the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in forest area. However, 'No Objection Certificate' of competent forest authority shall be required in case of the non-involvement of forest with laying of the line.
- xi. In case the proposed line passes near to the telecom lines or the lines of licensees, the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities.
- xii. The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before proposed line is energized/charged.
- xiii. On completion of construction work of the proposed line, the Applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector, before charging the line, at its own cost.

- xiv. If there is any damage to personal/public property during construction of proposed line, Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority.
- xv. If any charges are levied on the line of the Applicant Company as per any statutory provision, the same shall be payable by the Applicant Company.
- xvi. The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements of State/Central Govt. prevailing and as amended from time to time.
- xvii. The Applicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between him and other party due to accident or any other reason during the work.
- xviii. The above permission for construction of line is for 2 years from the date of order issued by State Government. The Applicant Company shall complete the construction within this period and intimate the State Government and MPPTCL.
- xix. The State Government may withdraw or cancel the approval at any time on expiry of the stipulated time period.
- xx. On violation of any of the above mentioned terms / conditions, the permission shall stand CANCELLED automatically.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज अग्रवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ, भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 4/2/6/002/2022/तीस:- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 (क्र.12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निर्म्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था:-

क्रं.	राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व खंड जो संरक्षण के अधीन है।	क्षेत्रफल हेक्टेयर	स्वामित्व	असंरक्षित स्मारक को किस विभाग को सौंपा जाना है
1.	म.प्र.	विदिशा	विदिशा	जाफरखेडी	स्तूप के अवशेष	220	3.346	मध्यप्रदेश शासन	जिला-प्रशासन
2.	म.प्र.	विदिशा	विदिशा	कस्बा विदिशा प.ह.न.-50 दुर्गानगर	मकबरा, हाजीवली दुर्गानगर	2509 मकबरा 2510 मकबरा 2511 मकबरा	0.010 हे. 0.021 हे. 0.596 हे. परिसर 0.627 हे.	माफी मकबरा हाजी वाली भूमि स्वामी आकोफ डिपार्टमेंट नजीरखा, सिकन्दरखा, शफूरखा, गफूर खा पुत्र अमीर खा 2/3 मु: शकुकर वी वेवा नत्येखा 1/3	जिला-प्रशासन
3.	म.प्र.	विदिशा	सिरोंज	वरेन्डा	अंग्रेजों की कब्रें	प.ह.न. 09-38	33 (खसरा) 11.9888 (रकबा) का क्षेत्र 0.100 हे.	मध्यप्रदेश शासन	ग्राम पंचायत, सिरोंज
4.	म.प्र.	विदिशा	सिरोंज	रावजी की हवेली कस्बा सिरोंज	रावजी की हवेली	पटवारी हल्का नं.-4 खसरा नंबर 25 व 27	नजूल शीट क्र. 13बी के भू-खंड क्र. 25 रकबा 4065 वर्ग मीटर, शिक्षा वि. उद्यान एवं रावजी की हवेली, शिक्षा भवन मय उद्यान 4115 वर्गमीटर	शासकीय	जिला शिक्षा अधिकारी, विदिशा
5	म.प्र.	शाजापुर	शाजापुर	अवंतिपुर बडोदिया	सिद्धेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर	1700 1	0.84 एकड़	प्रबंधक जिलाधीश शाजापुर	जिलाध्यक्ष शाजापुर

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा-34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद द्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त स्मारकों को मूल स्वरूप में बनाये रखने की शर्त पर अनुसूची के क्रमांक-10 अनुसार संबंधित विभागों को सौंपा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना पाण्डेय, अवर सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी मध्यप्रदेश एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग**

क्र.-7162-जि.भू.अ.-2022

सिवनी, दिनांक 19 दिसम्बर 2022

प्रारूप-5
(नियम 10)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्राधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है-

अनुसूची

1- ग्राम का नाम :-बिहुआ ब.नं.-522 प.ह.नं.-40
2- रा.नि.मं. :- छपारा तहसील:-छपारा जिला:-सिवनी
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.18 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल(हे.मं.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति	किस्म	संख्या	प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	58	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	गेन्दलाल, यशवंतसिंह बतीबाई, कुदियाबाई पिता भोजराज जाति कुम्हरावत पता सा.देह भूमिस्वामी	उत्तर जाति बाबूलाल जाति कुम्हरावत	दक्षिण म.प्र.शासन रास्ता	पूर्व जाति बाबूलाल जाति कुम्हरावत	पश्चिम जाति बाबूलाल जाति सरहद	-	-	-	-
2	59/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत पता सा.देह भूमिस्वामी	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	गेन्दलाल पिताभोजराज जाति कुम्हरावत	म.प्र.शासन रास्ता	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	-	-	-	-
	59/1			0.04	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	म.प्र.शासन रास्ता	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन रास्ता	-	-	-	-
योग	3			0.18									

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-7162-जि.भू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

अनुसूची

1- ग्राम का नाम :-बिछुआ ब.नं:-522 प.ड.नं.-40
 2- रा.नि.मं. :- छपारा तहसील:-छपारा जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.18 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल(हे.मै.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना		
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति का परिचय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	58	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	गेन्दलाल, यशवंतसिंह बतीबाई, कुदियाबाई पिता भोजराज जाति कुम्हरावत पता सा.देह भूमिस्वामी	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	म.प्र.शासन रास्ता	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	म.प्र.शासन रास्ता	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	-	-	-	-
2	59/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत पता सा.देह भूमिस्वामी	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	गेन्दलाल पिताभोजराज	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	म.प्र.शासन रास्ता	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	-	-	-	-
	59/1			0.04		म.प्र.शासन रास्ता	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	म.प्र.शासन रास्ता	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	-	-	-	-	-
योग	3			0.18										

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-7163-जि.भू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

अनुसूची

- 1- ग्राम का नाम :-झिलमिली ब.नं.-271 प.ह.नं.-37
 2- रा.नि.मं. :- छपारा तहसील:-छपारा जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.08 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिनियम के अधिनियम (हे.मं.) क्षेत्रफल(हे.मं.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		सरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति का परिचा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	155/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	संदीपकुमार पुत्र ओमशंकर जाति बागरी पता निवासी ग्राम सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (रास्ता)	म.प्र.शासन (भू-जल)	रामकली बेबा धनीराम बगैरा भूमिस्वामी	अर्जुनसिंह पिता ओमशंकरसिंह भूमिस्वामी	-	-	-	-
योग	1			0.08									

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर सभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-7163-जि.भू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

1- ग्राम का नाम :-झिलमिली ब.नं.-271 10 प.ह.नं.-37
 2- रा.नि.मं. :-छपारा तहसील-छपारा जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.08 हेक्टेयर।

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्थिति का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिकार क्षेत्रफल (हे.मि.)	हितबद्ध (व्यक्ति) का नाम और पता	उत्तर				प्रगति किस	सूचना	प्रकार	स्थिति का एरिया
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम				
1	155/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	संदीपकुमार पुत्र ओमशंकर जाति बागरी पता निवासी ग्राम सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (रास्ता)	म.प्र.शासन (भू-जल)	शर्मकली बेबा झेनीराम बगैरा भूमिस्वामी	अर्जुनसिंह पिता ओमशंकरसिंह भूमिस्वामी				
योग	1			0.08									

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

क्र.-168-भू-अर्जन-2022

नरसिंहपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2022

प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिए धारा 11)

रा0मा0 क. 09/अ-82/2022-23 मौजा ग्राम- गुरसी प.ह.नं.- 13/7 तहसील- करेली

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

चूँकि कार्यपालन यंत्री रानी अवंती लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क. SIA/MP/RIV/279855/2022 में कार्यवाही की जा रही है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : करेली |
| 3. ग्राम | : गुरसी |
| 4. नं.बं. | : 141 |
| 5. प.ह.न. | : 13/7 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 2.934 हे. |

अनुसूची 2

सं. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हे०
1	रामेश्वर वल्द केवलराम लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	103/10	0.161
			104	0.060
2	कमला वाई पति नरवर सिंह कृष्णपाल पिता नरवर सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	103/6	0.110
3	भूपेन्द्र कुमार मुन्नीवाई गीताबाई कलाबाई जीजीबाई पिता मिठ्ठू धोबी सा. देह	भूमि स्वामी	103/9	0.110
4	चौहान सिंह पिता नेतराम सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	102/3	0.085
5	रामपाल सिंह पिता मातवर सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	102/4	0.185
			100/2	0.245
6	हरिसिंह पिता मोहन सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	101/1	0.045
7	कमलेश पिता सुम्मेर सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	98	0.360
8	अनुराग सिंह पिता बलराम सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	268/2	0.220
9	हल्कीबाई पिता लीलाधर बाढई सा. देह	भूमि स्वामी	269/1/1	0.008
10	हरिओम मोहन ना.बा. वल्द वली बलराम बाढई सा. मगरधा नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	269/1/2	0.009
11	कल्याण सिंह वल्द किशनलाल बाढई सा. करेली	भूमि स्वामी	269/4, 269/6	0.044
12	अकित अकिता ना.बा. वल्द तुलसीराम बली दादी हल्कीबाई बाढई सा. देह	भूमि स्वामी	269/7	0.100
13	ताराबाई वल्द किशनलाल पति गेंदालाल बाढई सा. देह	भूमि स्वामी	269/8	0.052
14	वतीबाई वल्द किशनलाल पति अब्बू बाढई सा. देह	भूमि स्वामी	269/9	0.052
15	रामरानी उर्फ सोनाबाई वल्द किशनलाल पति देवेन्द्र बाढई सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	269/10	0.032
16	अमित पिता ओमप्रकाश मेहरा सा. देह ग्राम नौकर	भूमि स्वामी	281	0.295
17	तुलसाबाई बेवा श्यामलाल रामप्रसाद जयंतीवबाई ना.बा. वल्द श्यामलाल वली मां तुलसाबाई रजक सा. देह	भूमि स्वामी	282/1/2	0.096
18	राजबल सिंह पिता हल्के सिंह लोधी सा. घूरपुर	भूमि स्वामी	282/3	0.092
19	रामसिंह गिरीराज पिस. गोधन सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	282/4	0.132

20	राधाबाई वेवा छोटेलाल लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	283/2, 284/2, 298/3	0.140
21	मातवर सिंह वल्द छोटेलाल लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	283/4, 284/4, 298/5	0.180
22	रामसिंह वल्द गोधन सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	283/6, 284/6, 298/7	0.040
23	हल्कू उर्फ गिरीराज वल्द गोधन सिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	283/7, 284/7, 298/8	0.081
कुल योग				2.934

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्र. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

क्र.-98-भू-अर्जन-2022

बालाघाट, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची -1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे.में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बालाघाट	परसवाड़ा	समनापुर	11.104	रानी लघु जलाशय निर्माण

अनुसूची - 2

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	2/1/4	1.416	1.416	संतोष, रेशमा, सुषमा, उमा पिता महासिंह जाति गोंड निवासी समनापुर
2	2/1/5	1.919	1.919	संतोष कुमार पिता महासिंह जाति गोंड भूमिस्वामी
3	2/1/6 52/1/3	1.416 0.829	1.295 0.544	जीवनलाल, शिवनलाल, जैवन्ता, रैवन, फूलवन्ता पिता अमीलाल
4	2/1/7	1.619	1.295	नम कुमार पिता प्रबोध सुकुमार बेवा प्रबोध पिनाकी, रजन, अर्चना पिता प्रबोध जाति बंगाली निवासी समनापुर
5	10	3.589	0.405	लखनलाल व. उड़कू, पुरन्ताबाई पति अड़कू, सुखलाल, रोमिल, कुवंर, कमला, समुला, रमुला पिता जेठूसिंह निवासी समनापुर
6	22/2, 39/2, 42/1	1.047	1.047	दिलीपसिंह, कपूरसिंह, भेदसिंह, धरमसिंह, मेहसिंह व. हरलाल, पारबती बेवा हरलाल, मेघराज, जीवन व. परसराम जाति पंवार
7	40/2 52/1/2	0.129 0.129	0.129 0.129	अगीराबाई जी. तिलकचन्द, किरनबाई वल्द मेघराज जाति पंवार
8	41/2	0.668	0.668	गीताबाई व. लखनलाल जाति महार
9	42/2	0.280	0.280	कपूरचंद व. प्रेमलाल जाति कलार
10	42/3 52/3 52/1/1	0.174 0.324 0.388	0.174 0.162 0.388	गोविन्दीबाई बेवा इदंल जाति गोंड
11	43, 44	1.622	0.910	भैयालाल, सुबेलाल, हिरनबाई, बिरनबाई वल्द नन्दलाल जाति गोंड
12	52/1/4	0.809	0.809	रामदयाल, कपूराबाई, एशुला, दशवन्ती, यशवन्ती वल्द गुहदड़ सौनू वल्द चर्चा जाति गोंड निवासी समनापुर
	योग :-	16.358	11.104	

1. चूंकि रानी जलाशय के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाईट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-99-भू-अर्जन-2022

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची -1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे.में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बालाघाट	बैहर/ परसवाड़ा	पचामा	1.439	पचामा जलाशय निर्माण

अनुसूची-2

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	21/1	1.181	0.607	श्री अंजीराबाई पति बहादुरसिंह जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी
2	377/5	0.355	0.081	सुकवन्ती जौ बैरागसिंह जाति गोंड नि.दलदला
3	435/1/2	0.729	0.036	सम्हारूलाल व. सुखराम जाति अहीर
4	317/3	0.020	0.020	बुन्दर बेवा दशरथ, निराशा, तरासन, कृष्णा वल्द दशरथ जाति महार
5	389/3	0.218	0.089	सुशीला बेवा रमेश, कमलेश, नीलेश वल्द रमेश जाति महार निवासी दलदला
6	217/6	1.013	0.006	ताराचन्द व. हरगोविन्दलाल जाति पवार
7	217/7	1.013	0.006	लक्ष्मीचन्द व. हरगोविन्दलाल जाति पवार
8	217/1	1.789	0.006	धीरजलाल व. हरगोविन्दलाल जाति पवार
9	249/2/5	0.284	0.014	सत्यजीत व. अरुण जाति पवार
10	277	0.154	0.040	खेमराव व. होल्कर, मृदुल, प्रवेश व. रविन्द्र, शरद पति रविन्द्र, भोलाराव, रमेशराव, किशोर व. होल्कर जाति पवार
11	22/6	0.749	0.104	सालिकराम व. उदेसिंह जाति गोंड
12	15/7	0.202	0.026	ईस प्रसाद व. गुददू जाति पवार

13	35	2.833	0.202	कलाबाई बेवा जीवन, राजू व. चम्हार, सुकरती बेवा चम्हार, गुलाब व. सोहपत, लक्ष्मी बेवा सोहपत, नेतलाल व. मोहपत भानुप्रताप व. जीवन, अनुपम, निशा, आशा, अर्चना व. जीवन, गजानन्द व. मोहपत, जगदीश, यशवंत, उर्मिला, निर्मला व. मोहपत जाति गोंड
14	5/5	0.271	0.021	दददोलाल, रघोलाल, बुधसिंह व. जगतसिंह जाति गोंड
15	22/1/2	0.282	0.032	रमेश व. मनोहर सिंह जाति गोंड
16	15/9	0.607	0.032	बसन्ती जौ भैनसिंह जाति गोंड निवासी नारंगी
17	22/3/1	0.128	0.012	पतिराम व. साधुसिंह जाति गोंड
18	34/2	0.930	0.028	विनोता बेवा गुहदड़सिंह रविन्द्र, टेकेश्वर, देवेन्द्र उर्फ मंजीत, डिलेश्वरी, ताराबाई, जशोमती, ममता, सरिता व. गुहदड़सिंह जाति गोंड निवासी नारंगी
19	45/1/1	1.937	0.077	श्री नसीबसिंह व. आनन्दसिंह जाति गोंड
		14.695	1.439	

1. चूंकि पचामा जलाशय के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि के नक्शा (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(रा)बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाईट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर-नलखेड़ा
जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश

पत्र क्र.-1824-2022-23

आगर मालवा, दिनांक 11 अक्टूबर 2022

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक: 16/2022 दिनांक: 16/09/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने कुण्डलिया बाँया तट नहर परियोजना के लिए ग्राम डोंगर गाँव सोयत तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा में सिंचाई जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है।

वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक: 21/10/2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची					
ग्राम - डोंगर गाँव सोयत			तहसील - सुसनेर		
क्रं.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			
		कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)		
1	निजी भूमि कुण्डलिया नहर परियोजना बाँया तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	93.91	0.9112		
योग		93.91	0.9112		
अनुसूची (2)					
(1) कुण्डलिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से					
ग्राम डोंगर गाँव सोयत तहसील सुसनेर जिला आगर-मालवा					
अनु क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टर में)	भूमिगत पाइपलाइन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)
1	1529	पुरीलाल पुत्र भवरलाल जाति कुल्मि पता डोंगर गाँव सोयत	डोंगर गाँव सोयत	0.25	0.0190
2	2548	घनश्याम पिता रामरतन जाति गुर्जर पता डोंगर गाँव सोयत	डोंगर गाँव सोयत	0.23	0.0599
3	2550	लक्ष्मीनारायण पुत्र रामरतन जाति गुर्जर पता डोंगर गाँव सोयत	डोंगर गाँव सोयत	0.64	0.0123
4	2551	लक्ष्मीनारायण पुत्र रामरतन जाति गुर्जर पता डोंगर गाँव सोयत	डोंगर गाँव सोयत	0.35	0.0022

अनु क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टेयर में)
5	2552	2552/1 धापुबाई बेवा नानुराम जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग, रामनारायण पिता नानुराम जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग ; 2552/2 कांशीराम पिता नानुराम जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग, धापुबाई बेवा नानुराम जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग	डोंगर गांव सोयत	0.52	0.0035
6	2553	2553/1 रतीराम पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत; 2553/2 मोहनलाल पिता हीरालाल जाति गुर्जर	डोंगर गांव सोयत	0.35	0.0037
7	2554	राधेश्याम पिता बालचन्द जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.55	0.0059
8	2555	शोभाराम पिता बालचन्द जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.55	0.0073
9	2556	छोतरमल पिता बालचन्द जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत सुसनेर	डोंगर गांव सोयत	0.55	0.0067
10	2582	कैलाश पिता भवरलाल जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग, मधुराबाई बेवा भवरलाल जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग	डोंगर गांव सोयत	0.23	0.0055
11	2584	बालचंद पिता पुरा जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.23	0.0085
12	2628	2628/1 भागचंद पिता गिरधारी जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत; 2628/2 बजरंगसिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.63	0.0091
13	2626	देवकौनन्दन पिता राधेश्याम जाति सोनी पता रायपुर कृष्क डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.05	0.0027
14	2627	धापुबाई पत्नी भागचन्द जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.21	0.0056
15	2625	2625/1 छोतर कनौराम रामप्रसाद कलावतीबाई अयोध्याबाई जतनबाई पिता बालचंद जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत; 2625/2 भागचंद पिता गिरधारी जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत; 2625/3 बजरंगसिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.19	0.0072
16	2219/2	भागचंद पिता गिरधारी जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.54	0.0221
17	2044	विजयपालसिंह गजेन्द्रसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.20	0.0181
18	2047	नंदसिंह पिता प्रतापसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.38	0.0012
19	2077	राधेश्याम पुरीलाल दारियावबाई सुन्दरबाई धापूबाई केशरबाई बेवा मोती जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.53	0.0124
20	2076	बालचंद पुरीलाल पिता गिरधारी पता डोंगर गांव सोयत सुसनेर 9/100 भाग, भागचंद पिता गिरधारी पता डोंगर गांव सोयत सुसनेर 6/100 भाग, गुलाबबाई धापुबाई सरदारबाई पुत्री गिरधारी पता डोंगर गांव सोयत 42/100 भाग, जड़ावबाई बेवा गिरधारी पता डोंगर गांव सोयत 14/100 भाग, पुरीलाल पिता मोतीलाल जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत 29/100 भाग,	डोंगर गांव सोयत	0.53	0.0140
21	2069	कमलाकुंवर पत्नी बलवंतसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव	डोंगर गांव सोयत	1.59	0.0397

अनु क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)
22	2071	तुलसीराम पिता रामनारायण जाति ब्राह्मण पता सुसनेर	डोंगर गांव सोयत	1.15	0.0005
23	1949	दुंगेश पिता ओमप्रकाश जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.18	0.0062
24	1948	कन्हैयालाल पि भेरुलाल अ व सर माता कांतिबाई कांतिबाई बेवा भेरुलाल जाति सुनार पता डोंगर गांव सोयत 1/5 भाग, नंदुबाई वि पुरालाल रोड़ीबाई गीताबाई पुत्री पुरालाल जाति सुनार पता डोंगर गांव सोयत 4/5 भाग	डोंगर गांव सोयत	0.21	0.0027
25	1947	गुडडीबाई पत्नी ओमप्रकाश जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.19	0.0033
26	1946	कमलाबाई पति नंदा जाति गूजर पता डोंगर गांव सोयत सुसनेर	डोंगर गांव सोयत	0.47	0.0065
27	1945	बालकृवरबाई पत्नी बालासिंह जाति राजपुत पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.47	0.0075
28	1940/2	प्रभुलाल पिता शिवलाल जाति गूजर पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.20	0.0094
29	1940/1	प्रहलाद पिता गोपी जाति माली पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.19	0.0046
30	1939	सुशीलाबाई पत्नी रामविलास जाति महाजन पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.62	0.0020
31	1938	उषा पति पुरूषोत्तम पिता रामविलास जाति महाजन पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.83	0.0108
32	1937	सुशीलाबाई पत्नी रामविलास जाति महाजन पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.60	0.0097
33	1936	उषा पति पुरूषोत्तम पिता रामविलास जाति महाजन पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.73	0.0018
34	1560	प्रपुल सुशील अजय पिता कृष्णकांत सुषमाबाई गुडडीबाई बेबीबाई पूनमबाई मनीषाबाई तातीबाई पु कृष्णकांत मनोरमा बेवा कृष्णकांत जाति ब्रह्मण पता शाजापुर 1/2 भाग, लक्ष्मीकांत श्रीकांत पिता रणजीराम जानकीबाई बेवा रणजी जाति ब्रह्मण पता निवासी शाजापुर 1/2 भाग	डोंगर गांव सोयत	0.63	0.0068
35	1559	प्रपुल सुशील अजय पिता कृष्णकांत सुषमाबाई गुडडीबाई बेबीबाई पूनमबाई मनीषाबाई तातीबाई पु कृष्णकांत मनोरमा बेवा कृष्णकांत जाति ब्रह्मण पता शाजापुर 1/2 भाग, लक्ष्मीकांत श्रीकांत पिता रणजीराम जानकीबाई बेवा रणजी जाति ब्रह्मण पता निवासी शाजापुर 1/2 भाग	डोंगर गांव सोयत	0.23	0.0016
36	1558	1558/1 रमेशचंद्र पिता उदेराम जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत; 1558/2 रामबाबू पिता कैलाशनारायण पता डोंगर गांव सोयत; 1558/3 संतोषबाई पुत्री उदेराम जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत; 1558/4 रामचन्द्र पिता उदेराम जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.16	0.0213
37	1535	1535/1 मुकेश पिता कैलाशनारायण जाति कुल्मी पता निवासी साल्याखेड़ी कृषक डोंगरगांव ; 1535/2 कैलाशनारायण पिता बद्रीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	4.33	0.0193
38	1540/1	1540/1/1 रामबाबू पिता बिरदीचन्द जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत; 1540/1/2 मुकेश पिता कैलाशनारायण जाति कुल्मी पता निवासी साल्याखेड़ी कृषक डोंगरगांव	डोंगर गांव सोयत	0.38	0.0054

अनु क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टर में)	भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)
39	1539/1	रामबाबू पिता बिरदीचन्द जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.54	0.0097
40	1306	रामेश्वर पिता पुरीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत 1/4 भाग, जगदीशचंद पिता पुरीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत 1/4 भाग, राधेश्याम पिता पुरीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत 1/4 भाग, द्रौपदीबाई पिता पुरीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत 1/4 भाग	डोंगर गांव सोयत	1.25	0.0065
41	1300	रामेश्वर जगदीश राधेश्याम पु पुरीलाल पिता पुरीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.10	0.0101
42	1302	गायत्रीबाई पत्नी जगदीश जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.11	0.0011
43	1299	1299/1 बाबूलाल मोहनबाई पुत्री माता सावित्रीबाई जाति ब्राह्मण पता निवासी श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गांव सोयत; 1299/2 विष्णुप्रसाद दुरगीबाई पुत्री माता सावित्रीबाई जाति ब्राह्मण पता निवासी श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.60	0.0121
44	1294	1294/1 बाबूलाल मोहनबाई पुत्री माता सावित्रीबाई जाति ब्राह्मण पता निवासी श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गांव सोयत; 1294/2 विष्णुप्रसाद दुरगीबाई पुत्री माता सावित्रीबाई जाति ब्राह्मण पता निवासी श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.80	0.0368
45	1278	1278/1 विष्णुप्रसाद दुरगीबाई पुत्री माता सावित्रीबाई जाति ब्राह्मण पता निवासी श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गांव सोयत; 1278/2 बाबूलाल मोहनबाई पुत्री माता सावित्रीबाई जाति ब्राह्मण पता निवासी श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.10	0.0094
46	1280	मोहनलाल पिता बालचन्द जाति कुल्मी पता श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.92	0.0065
47	1279	गायत्रीबाई पत्नी रामगोपाल जाति कुल्मी पता बिन्दा कृषक डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.32	0.0119
48	1277	1277/1 प्रभुलाल पिता शंकरलाल जाति तेली पता डोंगर गांव सोयत; 1277/2 मोहनलाल पिता शंकरलाल जाति तेली पता डोंगर गांव सोयत; 1277/3 रामविलास पिता शंकरलाल जाति तेली पता डोंगर गांव सोयत; 1277/4 रामसुखीबाई कलावतीबाई पिता शंकरलाल फूलकुबाई बेवा शंकरलाल जाति तेली पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	2.00	0.0182
49	1276	विष्णुप्रसाद कन्हैयालाल रामचन्द्र पु जगन्नाथ मगनबाई बेवा जगन्नाथ जाति तेली पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.73	0.0120
50	1273	विष्णुप्रसाद कन्हैयालाल रामचन्द्र पु जगन्नाथ मगनबाई बेवा जगन्नाथ जाति तेली पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.60	0.0087
51	1275	विष्णुप्रसाद कन्हैयालाल रामचन्द्र पु जगन्नाथ मगनबाई बेवा जगन्नाथ जाति तेली पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.65	0.0095
52	1274	गीताबाई वि मनोहरलाल कालू दोलतराम पु मनोहरलाल अ सर माका स्वयं गीताबाई बेवा मनोहरलाल जाति सुनार पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.42	0.0061
53	1225	मांगीलाल पुत्र देवा जाति दोगी पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.59	0.0106

अनु क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टेयर में)
54	1226	गंगाराम पिता देवा जाति दांगी पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.59	0.0107
55	1253	1253/1 रामचंद्र पिता बरदा जाति दांगी पता निवासी हनोतिया कृषक डोंगरगाव सोयत; 1253/2 प्रभुलाल पिता बरदा जाति दांगी पता निवासी हनोतिया तहसील पिड़ावा सुसनेर	डोंगर गांव सोयत	1.78	0.0171
56	1251	पीरूलाल पु बपुलाल धापूबाई बेवा बापुलाल जाति भील पता श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग, रामलाल गोपाल पुत्र जगन्नाथ जाति भील पता श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग	डोंगर गांव सोयत	1.15	0.0157
57	1252	रामनारायण कन्हैयालाल सीताबाई पिता प्रभुलाल जाति दांगी पता गुराड़िया सोयत कृषक डोंगर गांव	डोंगर गांव सोयत	1.14	0.0174
58	2549	लक्ष्मीनारायण पुत्र रामरतन जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.86	0.0058
59	2540	2540/1 नारायणसिंह पिता छौतरसिंह जाति राजपुत पता डोंगर गांव सोयत; 2540/2 भगवानसिंह पिता छौतरसिंह जाति राजपुत पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.81	0.0110
60	2565	भंदरसिंह रेशमकुवर बेवा गुलाबसिंह जाति राजपुत पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.03	0.0018
61	1942	प्रभुलाल बद्रीलाल मोहनलाल पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.98	0.0113
62	1941	राधेश्याम हरिसिंह पिता पुर जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.60	0.0015
63	1965	1965/1 राधेश्याम पिता पूरूलाल जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत; 1965/2 हेमराज पिता बाला उर्फ बालचंद जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.34	0.0027
64	1268	भवानीराम पुत्र भवरलाल जाति कुल्मी पता श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.01	0.0068
65	1270	कंवरलाल पिता भीमा जाति कुम्हार पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.33	0.0028
66	1269	1269/1 भरूलाल पिता नंदा जाति कुम्हार पता बराड़ कृषक डोंगरगाव सोयत; 1269/2 जगन्नाथ पिता नानूराम जाति कुम्हार पता बराड़ कृषक डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.59	0.0054
67	1265	1265/1 रामचन्द्र बिरदीचन्द्र पिता रामलाल पिता रामलाल जाति कुम्हार पता बराड़; 1265/2 रोडमल पिता नंदा जाति कुम्हार पता बराड़	डोंगर गांव सोयत	0.55	0.0040
68	1264	1264/1 रामचन्द्र बिरदीचन्द्र पिता रामलाल पिता रामलाल जाति कुम्हार पता बराड़; 1264/2 रोडमल पिता नंदा जाति कुम्हार पता बराड़	डोंगर गांव सोयत	0.39	0.0034
69	1262	1262/1 रोडमल पिता नंदा जाति कुम्हार पता बराड़; 1262/2 भरूलाल पिता नंदा जाति कुम्हार पता बराड़ कृषक डोंगरगाव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.63	0.0062
70	785	785/1 दयाराम पिता द्वारकीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत; 785/2 बाबुलाल पिता द्वारकीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत; 785/3 ओमप्रकाश पिता द्वारकीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	4.93	0.0054

अनु क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टेयर में)
71	782	मुकेशकुमार पिता रामप्रसाद जाति कुलमी पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.26	0.0074
72	777	द्वारकीलाल पिता मोतीलाल जाति कुलमी पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.34	0.0074
73	778/1	भैराबाई वि. कालुराम जाति भील पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था अहस्तांतरणीय	डोंगर गांव सोयत	0.40	0.0040
74	779	निर्भयरावरेगे विवेकरावरेगे विश्वासरावरेगे पिता नरेंद्रकुमाररेगे जयश्रीबाई बेवा नरेंद्रकुमार रेगे जाति दक्षिणी ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत 5/8 भाग, सुनंदाबाई सरोजबाई शैलजाबाई पिता नारायणराव रेगे जाति दक्षिणी ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत 3/8 भाग	डोंगर गांव सोयत	0.35	0.0059
75	758	758/1 आमप्रकाश पिता हीरालाल जाति कुम्हार पता डोंगर गांव सोयत; 758/2 पुनमचंद पिता हीरालाल जाति कुम्हार पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.21	0.0059
76	759	759/1 आमप्रकाश पिता हीरालाल जाति कुम्हार पता डोंगर गांव सोयत; 759/2 प्रभुलाल पिता हीरालाल जाति कुम्हार पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.60	0.0057
77	760	सोहनलाल पिता रामलाल जाति भील पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.54	0.0011
78	644	अशोककुमार पिता सीताराम जाति दर्जी पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.77	0.0024
79	645/3427	645/3429/1 दिनेशकुमार पिता सीताराम सीताराम मोहनलाल पिता बाला पिता बाला जाति दर्जी पता डोंगर गांव सोयत; 645/3429/2 कल्पना पत्नी अशोककुमार जाति दर्जी पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.12	0.0032
80	645	मोहनलाल पिता बाला जाति दर्जी पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.83	0.0081
81	651	गंगाराम पिता नारायण जाति तेली पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.22	0.0015
82	652	शरीफनबी पत्नी मुमताज जाति पिजारा पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.97	0.0044
83	626/3	पन्नालाल पिता देराम जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.65	0.0059
84	626/2	तुलसीराम पिता देराम जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.65	0.0040
85	625	केशरसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग ; भारतसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग ; गोपालसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग ; रिसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग ; प्रेमकुंवरबा पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग ; सरेकुंवरबाई पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग ; कमलाकुंवरबाई पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग ; दीपाकुंवर पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग ; संतराकुंवरबाई पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग ; उम्मेदकुंवरबाई बेवा बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग	डोंगर गांव सोयत	1.10	0.0125

अनु क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)
86	582/2	मुकेशकुमार पिता मनीहलाल जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.44	0.0006
87	579	दुर्गाशंकर पिता मांगीलाल जाति लोहार पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.12	0.0040
88	577	दुर्गाशंकर पिता मांगीलाल जाति लोहार पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.38	0.0027
89	576	मांगीलाल रामगोपाल पिता भवरलाल सुगनबाई बेवा भवरलाल जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत 1/3 भाग ; नारायण पु गुला बभाग पिता गुलाबभाग जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत 1/3 भाग ; दयाराम महेश द पु राधीबाई दत्तक नारायण जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत 1/3 भाग	डोंगर गांव सोयत	1.11	0.0056
90	575	दुर्गाशंकर पिता मांगीलाल जाति लोहार पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.36	0.0106
91	574	जानकीबाई पति रामगोपाल शर्मा व धापूबाई पति रामगोपाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.26	0.0099
92	561	शिवाजीरावरम पिता शंकरराव जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	3.95	0.0194
93	559	गिरीशकुमार पिता रामगोपाल जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.07	0.0050
94	364	364/1 प्रेमचंद रामबाबू चंद्रकलाबाई पिता मोतीलाल कमलाबाई विधवा मोतीलाल कृतिका पिता लालचंद डालीबाई बेवा लालचंद जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत; 364/2 काशीराम पिता पुरा जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.93	0.0031
95	365	365/1 बजरंग पिता नानूराम जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत; 365/2 जानकीलाल पिता जगन्नाथ जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत; 365/3 प्रेमचंद रामबाबू चंद्रकलाबाईपितामोतीलाल कमलाबाई विधवा मोतीलाल कृतिका पिता लालचंद डालीबाई बेवा लालचंद जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.11	0.0106
96	370	धापूबाई पति रामगोपाल जानकीबाई पति रामगोपाल जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.90	0.0042
97	373	सब्बीरहुसेन पिता घीसा जाति पिजारा पता डोंगर गांव सोयत 1/3 भाग, अलीहुसेन पिता घीसा जाति पिजारा पता डोंगर गांव सोयत 1/3 भाग, जन्नतबी पति अलीहसन जाति पिजारा पता डोंगर गांव सोयत 1/3 भाग	डोंगर गांव सोयत	1.60	0.0055
98	374	जन्नतबाई पति अलीहुसेन जाति पिजारा पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.46	0.0038
99	376	जन्नतबाई पति अलीहुसेन जाति पिजारा पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.46	0.0059
100	378	हेमराज मांगीबाई पिता पन्नलाल जाति कलाल पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.97	0.0100
101	379	रसूलभाई पिता कासमजी जाति पिजारा पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.19	0.0014
102	380	भरूलाल बद्रीलाल कमलाबाई मांगीबाई पिता लाला जाति बलाई पता सुसनर	डोंगर गांव सोयत	1.40	0.0047
103	95	श्याम पिता गोपीलाल जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग, दुर्गाबाई पुत्री गोपीलाल जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग	डोंगर गांव सोयत	1.39	0.0059

अनु क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाईपलाईन एवं उक्त बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टेयर में)
104	94	रामलाल पिता वोटो जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.84	0.0001
105	87	87/1 मोहम्मदहूसेन पिता कासमजी जाति पिंजारा पता डोंगर गांव सोयत; 87/2 अल्लानूर पिता अब्दुल जाति पिंजारा पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.52	0.0098
106	122	भगवतीबाई पिता भारमल जाति दांगी पता निवासी किशनपुरा	डोंगर गांव सोयत	0.50	0.0089
107	120	भगवतीबाई पिता भारमल जाति दांगी पता निवासी किशनपुरा	डोंगर गांव सोयत	0.25	0.0002
108	166	166/1 धापुबाई पत्नी हेमराज जाति सोनी पता गुराडिया सोयत; 166/2 प्रेमबाई पत्नी कालुराम जाति तेली पता डोंगर गांव सोयत; 166/3 पुरीलाल प्रभुलाल पुत्र उकार जाति माली पता डोंगर गांव सोयत; 166/4 पुरीलाल पुत्र उकार जाति माली पता डोंगर गांव सोयत	डोंगर गांव सोयत	1.85	0.0116
109	164	164/1 माधवप्रसाद पिता बालाराम जाति दांगी पता गुराडिया सोयत; 164/2 मोतीलाल पिता बालाराम जाति दांगी पता गुराडिया सोयत; 164/3 मथुरालाल पिता बालाराम जाति दांगी पता गुराडिया सोयत; 164/4 रामनारायण पिता बालाराम जाति दांगी पता गुराडिया सोयत	डोंगर गांव सोयत	0.53	0.0042
योग				93.91	0.9112

सोहन कनाष, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश,
शासन
राजस्व विभाग

राजगढ़, 1 र 2022

कमांक 133/अ-अर्जन/2022 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 02/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ हेतु ग्राम शाहपुरा की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (के 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क्र.	विवरण	अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
1	शाहपुरा	9.602
कुलयोग :-		9.602

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि :- ग्राम शाहपुरा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	नानजी पिता रामा जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	177/1/2/1	0.038	0.038
		125/23/1/1	0.222	0.222
		178/1/2	0.092	0.092
	योग :-	3	0.352	0.352
2	सुगनबाई पत्नि नानजी जाति बेलदार निवासी ग्राम भू-स्वामी	177/1/1	0.126	0.126
		177/2	0.095	0.095
		178/2	0.130	0.130
		179/3	0.057	0.057
	योग :-	4	0.408	0.408
3	मेहरबान पिता बदीलाल जाति बलेदार 1/2 भाग प्रेमबाई बेवा बदीलाल जाति बेलदार 1/2 भाग नि.ग्राम भूमि स्वामी	175/1	0.023	0.023
	योग :-	1	0.023	0.023
4	शम्भू पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम भूमि स्वामी	175/2	0.023	0.023
	योग :-	1	0.023	0.023
5	रमेश पुत्र बापूलाल जाति बेलदार हरकूबाई बेवा बापूलाल नि.ग्राम भूमि स्वामी	175/3	0.024	0.024
	योग :-	1	0.024	0.024
6	भागमल पिता गोरीलाल जाति बेलदार भाग नि.ग्राम भूमि स्वामी	175/4	0.023	0.023
	योग :-	1	0.023	0.023

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.मे)	अर्जित रकबा (हे.मे)
1	2	3	4	5
7	रंगलाल पिता गोरीलाल जाति बेलदार भाग नि.ग्राम भूमि स्वामी	175/5	0.023	0.023
	योग :-	1	0.023	0.023
8	हिन्दुसिंह पिता गोरीलाल जाति बेलदार भाग नि.ग्राम भूमि स्वामी	175/6	0.023	0.023
	योग :-	1	0.023	0.023
9	कचनबाई बेवा रामा जाति बेलदार 1/4 भाग, बजेसिंह पिता रामा जाति बेलदार 1/4 भाग, मानसिंह पिता रामा जाति बेलदार 1/4 भाग, हरीसिंह पिता रामा जाति बेलदार 1/4 भाग नि.ग्र. भू-स्वामी	176/1	0.097	0.097
	योग :-	1	0.097	0.097
10	राजाराम पिता अमरा जाति बेलदार 1/4 भाग, कमल पिता अमरा जाति बेलदार 1/4 भाग, जितेन्द्र पिता अमरा जाति बेलदार 1/4 भाग, धापूबाई बेवा अमरा जाति बेलदार 1/4 भाग नि.ग्र. भूमि स्वामी	176/2	0.097	0.097
	योग :-	1	0.097	0.097
11	बददूलाल पिता देवीराम जाति बेलदार नि.ग्र. भूमि स्वामी	176/3	0.097	0.097
	योग :-	1	0.097	0.097
12	मानसिंह पिता रामा जाति बेलदार नि.ग्र. भूमि स्वामी	177/1/2/2	0.025	0.025
		178/1/3	0.038	0.038
	योग :-	2	0.063	0.063
13	मदनलाल पिता नन्दराम जाति बेलदार नि.ग्र. भूमि स्वामी	179/1	0.114	0.114
	योग :-	1	0.114	0.114
14	देवीलाल दत्तक पुत्र पन्नालाल जाति रुवाला नि.ग्र. भूमि स्वामी	180	0.367	0.367
	योग :-	1	0.367	0.367
15	शम्भूलाल पिता गोरीलाल, भागमल पिता गोरीलाल, बदीलाल पिता गोरीलाल, रंगलाल पिता गोरीलाल, हिन्दुसिंह पिता गोरीलाल, रमेश दत्तक पुत्र बापूलाल, हरकृबाई बेवा बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्र. भूमि स्वामी	200/2/3	0.013	0.013
	योग :-	1	0.013	0.013
16	कमलाबाई बेवा रायसिंह जाति बेलदार नि.ग्र. भूमि स्वामी	201/2	0.095	0.095
	योग :-	1	0.095	0.095
17	कंवरलाल पिता मोती जाति बेलदार नि.ग्र. भूमि स्वामी	233/1	0.291	0.291
		344/118/1	0.296	0.296
	योग :-	2	0.587	0.587
18	प्रहलाद पिता किशन जाति बेलदार 1/2 भाग रोड़ीबाई पिता किशन 1/2 भाग नि.ग्र. भूमि स्वामी	233/2	0.111	0.111
		125/15/2	0.352	0.352
		344/118/2	0.148	0.148
	योग :-	3	0.611	0.611

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.मै)	अर्जित रकबा (हे.मै)
1	2	3	4	5
19	लीलाबाई बेवा नारायण 1/3 भाग, अमृत पिता नारायण 1/3 भाग, पप्पू पिता नारायण 1/3 भाग जाति बेलदार नि. ग्रा. भूमि स्वामी	233/3 125/15/3 344/118/3	0.111 0.352 0.149	0.111 0.352 0.149
	योग :-	3	0.612	0.612
20	अमृतलाल पिता बंशीलाल जाति रुवाला नि. ग्रा. भूमि स्वामी	249/1/2 252/2/3	0.417 0.254	0.417 0.254
	योग :-	2	0.671	0.671
21	मोहनसिंह पिता मनोहरसिंह जाति कंजर नि. ग्रा. भूमि स्वामी	252/1/3	0.164	0.164
	योग :-	1	0.164	0.164
22	रामनरेश पिता मनोहरसिंह जाति कंजर नि. ग्रा. भूमि स्वामी	252/1/4	0.164	0.164
	योग :-	1	0.164	0.164
23	रामप्रसाद पिता जगन्नाथ 1/4 भाग, कमलसिंह पिता जगन्नाथ 1/4 भाग, बाबूलाल पिता जगन्नाथ 1/4 भाग, श्याम पिता जगन्नाथ 1/4 भाग, जाति गूर्जर नि. ग्रा. पनाली भूमि स्वामी	252/2/1	0.253	0.253
	योग :-	1	0.253	0.253
24	हेमराम पिता बंशीलाल, मु. सौरमबाई बेवा बदीलाल जाति रुवाला नि. पनाली भूमि स्वामी	252/2/4	0.253	0.253
	योग :-	1	0.253	0.253
25	नन्दराम पिता हरलाल जाति बेलदार नि. ग्रा. भूमि स्वामी	348/118	0.379	0.379
	योग :-	1	0.379	0.379
26	मोती पिता रामा जाति बेलदार निवासी ग्राम भू-स्वामी	125/15/1	0.460	0.460
	योग :-	1	0.460	0.460
27	राजूबाई पिता गोपीलाल, कालूराम पिता प्रभूलाल जाति बेलदार नि. ग्रा. भूमि स्वामी	125/9/4 349/118/2/1	0.645 0.256	0.350 0.256
	योग :-	2	0.901	0.606
28	राजूबाई पिता गोपीलाल, सतीश नाथ पिता रमेश सरखक माता दलीबाई बेवा रमेश जाति बेलदार नि. ग्रा. भूमि स्वामी	125/9/5 349/118/2/2	0.645 0.256	0.300 0.256
	योग :-	2	0.901	0.556
29	अमृतलाल पिता मानसिंह, फूलकुंवरबाई पति अमृतलाल जाति बेलदार निवासी ग्राम भू-स्वामी (अहरतांतरणीय)	125/1/6	0.506	0.400
	योग :-	1	0.506	0.400
30	देवीलाल, रेवाराम, रतिराम, बलराम पिता जगन्नाथ जाति रुहेला निवासी ग्राम भू-स्वामी	125/24/1	0.632	0.632
	योग :-	1	0.632	0.632
31	लक्ष्मीनारायण पिता बट्टूलाल जाति रुहेला निवासी ग्राम भू-स्वामी	125/24/2/2	0.284	0.250
	योग :-	1	0.284	0.250
32	बदीलाल पिता बट्टूलाल जाति रुहेला निवासी ग्राम भू-स्वामी	125/24/2/1	0.285	0.240
	योग :-	1	0.285	0.240
33	रामप्रसाद, चंदरसिंह पिता धूलजी जाति बेलदार निवासी ग्राम भू-स्वामी	118/349/1	0.066	0.066
	योग :-	1	0.066	0.066
34	विक्रमसिंह पिता हारालाल जाति नट निवासी ग्राम भू-स्वामी	174/1/2	0.506	0.506
	योग :-	1	0.506	0.506
35	चंदरसिंह, पीरूलाल पिता अर्जुनसिंह, सुगनबाई बेवा अर्जुनसिंह जाति बेलदार निवासी ग्राम भू-स्वामी	174/9	1.518	0.350
	योग :-	1	1.518	0.350
	महायोग :-	49	11.595	9.602

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

कमांक 13392/भू-अर्जन/2022 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 01/अ-82/2022-23 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ हेतु ग्राम संजयग्राम की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूँकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क.	विवरण	अर्जनीय रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
1	संजयग्राम	17.357
	कुलयोग :-	17.357

—: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि :- ग्राम संजयग्राम

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जनीय रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	राधेश्याम पिता अजबसिंह जाति भानमता नि.ग्रा. भू-स्वामी	64/1	0.100	0.100
	योग :-	1	0.100	0.100
2	ओमप्रकाश दत्तक पुत्र तोरणसिंह जाति भानमता नि.ग्राम भू-स्वामी	116	0.063	0.063
		299	0.094	0.094
	योग :-	2	0.157	0.157
3	शिवनारायण पिता उँकार जाति भानमता नि.ग्राम भू-स्वामी	294	0.354	0.354
		296	0.162	0.162
	योग :-	2	0.516	0.516
4	कैलाशनारायण पिता उँकार जाति भानमता नि.ग्राम भू-स्वामी	297	0.314	0.314
	योग :-	1	0.314	0.314
5	अवतारसिंह पिता भोलाराम जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	339	0.126	0.126
	योग :-	1	0.126	0.126
6	मंगल पिता तखतसिंह जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	323	0.073	0.073
		338/1	0.030	0.030
	योग :-	2	0.103	0.103
7	गुलाब पिता तखतसिंह जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	334/1	0.020	0.020
	योग :-	1	0.020	0.020
8	बनवारी गौरीशंकर मंगल पिता तखतसिंह जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	324	0.072	0.072
	योग :-	1	0.072	0.072
9	गौरीशंकर पिता तखतसिंह जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	342	0.150	0.150
	योग :-	1	0.150	0.150
10	लीलाबाई पति कन्हैयालाल जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	340/2	0.361	0.361
	योग :-	1	0.361	0.361

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.मे)	अर्जनीय रकबा (हे.मे)
1	2	3	4	5
11	रूपसिंह, बलराम, जीवनसिंह, नैनसिंह, धीरपसिंह पिता हजारीलाल, धीरसिंह पिता नन्दलाल जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	340/5	0.177	0.177
	योग :-	1	0.177	0.177
12	श्रीमति रजापति पति जगदीशचन्द्र गुदेन जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	340/7	0.126	0.126
	योग :-	1	0.126	0.126
13	चंदरसिंह पिता बापूलाल, गीताबाई पति चंदरसिंह जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	346	0.253	0.253
	योग :-	1	0.253	0.253
14	मलखानसिंह पिता लक्ष्मीनारायण, बिलोवाबाई पति मलखानसिंह जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	347	0.500	0.500
	योग :-	1	0.500	0.500
15	बालकराम पिता लक्ष्मण पारवतीबाई पति बालकराम जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	348	0.101	0.101
	योग :-	1	0.101	0.101
16	अभिमन्यू पिता कालूराम लीलावति पति अभिमन्यू जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	349	0.126	0.126
	योग :-	1	0.126	0.126
17	गोविन्द पिता बाबूलाल, रीटाबाई पति गोविंद ओम पिता बाबूलाल लाजवती पति ओम जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	350	0.253	0.253
	योग :-	1	0.253	0.253
18	ओमप्रकाश पिता तोरणसिंह कमलाबाई पति ओमप्रकाश जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	351	0.379	0.379
	योग :-	1	0.379	0.379
19	रामेश्वर रामविलास कल्याणसिंह, पप्पू पिता हीरालाल, नरेन्द्र पिता बल्लू मु. चंदूबाई पत्नी स्व बल्लू जाति भानमता नि.ग्राम भू-स्वामी	352	0.404	0.404
	योग :-	1	0.404	0.404
20	सौमुनाबाई बेवा नारायण जाति भानमता नि.ग्राम भू-स्वामी	353	0.500	0.500
	योग :-	1	0.500	0.500
21	लाड़बाई पत्नी सुरेशचन्द्र, कोशल्याबाई पति रमेशचन्द्र जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	416	0.139	0.139
	योग :-	1	0.139	0.139
22	सेवाबाई पति मनोज जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	374	0.152	0.152
	योग :-	1	0.152	0.152
23	पर्वतसिंह, हरिसिंह, अमृतलाल पिता मानसिंह जाति बेलदार नि. ग्राम भू-स्वामी	595	0.020	0.020
		596	0.012	0.012
	योग :-	2	0.032	0.032
24	गौरीशंकर पिता तखतराम जाति भानमता नि.ग्राम भू-स्वामी	138/1	0.215	0.215
		138/2	0.860	0.860
		142/2	0.787	0.787
	योग :-	3	1.862	1.862
25	प्रमोदकुमार पिता बादामसिंह जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	417	0.150	0.013
	योग :-	1	0.150	0.013
26	लीलाबाई पुत्री नंदराम जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी	363	0.278	0.013
		364	0.607	0.000
	योग :-	2	0.885	0.013

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जनीय रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
27	गुलाबसिंह, सीताराम, कृष्णा पिता वेगमासिंह, अभिमन्यु हरिनारायण भारतसिंह सोमनसिंह कौशल्याबाई रामदुलारीबाई सीमाबाई रामकुंवरबाई उर्फ लांगा पिता कालूराम मु. पेपाबाई बेवा कालूराम जाति भानमाता नि.ग्राम भू-स्वामी	40	0.013	0.013
	योग :-	1	0.013	0.013
28	भूरा उर्फ सुरेन्द्रपालसिंह पप्पू पिता लाखनसिंह अमरतोबाई पिता लाखनसिंह जाति भानमाता नि.ग्राम भू-स्वामी	63	0.125	0.062
	योग :-	1	0.125	0.062
29	अशोक कुमार पिता बदामसिंह हि 1/5, प्रमोद कुमार पिता बादमसिंह हि 1/5, भारतकुमार पिता बदामसिंह हि 1/5, रामनिवास पिता बादामसिंह हि. 1/5 जाति भानमाता नि.ग्राम भू-स्वामी	105	0.203	0.203
	योग :-	1	0.203	0.203
30	कमलाबाई बेवा बादामसिंह हि 1/5, अशोक कुमार पिता बादमसिंह हि 1/5, प्रमोदकुमार पिता बदामसिंह हि 1/5, भारतकुमार पिता बादामसिंह हि 1/5, रामनिवास पिता बादामसिंह हि. 1/5 जाति भानमाता नि.ग्राम भू-स्वामी	106	0.152	0.152
	योग :-	1	0.152	0.152
34	जगदीश पिता ज्ञानसिंह जाति भानमाता नि.ग्राम भू-स्वामी	113	0.152	0.152
	योग :-	1	0.152	0.152
32	मल्खानसिंह पिता लक्ष्मीनारायण, रामवतीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण, सतनाम पिता ब्रजेश, हेमाबाई बेवा ब्रजेश, त्रिपालसिंह पिता प्रेमसिंह, राजूसिंह पिता प्रेमसिंह, सौरामबाई बेवा प्रेमसिंह जाति भानमाता नि.ग्राम भू-स्वामी	292	0.190	0.190
	योग :-	1	0.190	0.190
33	ओमप्रकाश दत्तक पुत्र तोरणसिंह जाति भानमाता नि.ग्राम भू-स्वामी	299	0.094	0.094
	योग :-	1	0.094	0.094
34	रूपसिंह पिता हजारीलाल, बलराम पिता हजारीलाल, जीवनसिंह पिता हजारीलाल, नैनसिंह पिता हजारीलाल, धीरपसिंह पिता हजारीलाल, धीरसिंह पिता नंदलाल जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	316/2	0.139	0.139
	योग :-	1	0.139	0.139
35	बलवानसिंह पिता अजबसिंह जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी	340/3/1	0.130	0.130
		340/4	0.210	0.210
	योग :-	2	0.340	0.340
36	बटदूलाल पिता देवीराम जाति बैलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	597	0.422	0.200
	योग :-	1	0.422	0.200
37	राधस्वामी सत्संग व्यास पंजीकृत सोसायटी पीओ डेश बाबा जेमलसिंह व्यास जिला अमृतसर पंजाब सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	140	0.449	0.449
		142/1	0.415	0.415
		143	0.202	0.202
		144	0.253	0.253
		145	0.042	0.042
		146	0.042	0.042
		154/1	0.192	0.192
		155/1	0.438	0.438
		156	0.487	0.487
		158/1/2	0.573	0.500
		158/2/2	0.573	0.550
		158/3/2	0.573	0.560

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जनीय रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
		159/2	1.527	1.177
	राधस्वामी सत्संग व्यास पंजीकृत सोसायटी पीओ डेरा बाबा	278/2	2.580	0.130
	जैमलसिंह व्यास जिला अमृतसर पंजाब सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	295	0.278	0.278
		304	0.135	0.035
		311/2	0.647	0.080
		376	1.214	0.600
		390	0.683	0.586
		391	0.682	0.482
		393	0.042	0.042
		394	0.042	0.042
		397	0.042	0.042
		453/1	0.040	0.040
		593	0.411	0.050
		594/1	0.205	0.205
		149/1	0.207	0.207
		151/1	0.618	0.618
		153	0.119	0.119
	योग :-	29	13.711	8.863
	कुलयोग :-	73	23.499	17.357

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर-जीरापुर
जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

पत्र क्र.-2134-2022-23

आगर मालवा, दिनांक 16 दिसम्बर 2022

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है।) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक: 1788 दिनांक: 20/09/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने कुण्डलिया बाँया तट नहर परियोजना के लिए ग्राम रामगढ़ तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ में सिंचाई जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है।</p> <p>वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक: 21/09/2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चप्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है।</p> <p>अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
अनुसूची (1)					
ग्राम - रामगढ़			तहसील - जीरापुर		
क्र.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा(हेक्टर में)			
		कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)		
1	निजी भूमि कुण्डलिया नहर परियोजना बाँया तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	40.39	0.2208		
	योग	40.39	0.2208		
अनुसूची (2)					
(1) कुण्डलिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से					
ग्राम रामगढ़ तहसील जीरापुर जिला राजगढ़					
अनु क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिमोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइपलाइन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोक्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टर में)
1	117	117/1 शिवसिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता जीरापुर 1/5 भाग, बंदीलाल पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता जीरापुर 1/5 भाग, पानबाई पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता जीरापुर 1/5 भाग, फूलाबाई पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता जीरापुर 1/5 भाग, भगवानसिंह पिता मदनलाल जाति गुर्जर पता जीरापुर 1/5 भाग ; 117/2/1 विक्रमसिंह पिता पुरनसिंह जाति गुर्जर पता राजगढ़ ; 117/2/2 पूरनसिंह पिता भेरूलाल जाति गुर्जर पता कुण्डलिया राजगढ़ ; 117/5/1 नूर फकीरमोहम्मद बालू पिता नबीबक्ष जाति फकीर पता जीरापुर ; 117/5/2 लखनसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता रामगढ़ ; 117/6 ,117/8 & 117/9 तरवरसिंह पिता हरिसिंह जाति सोधिया पता राजगढ़ 1/3 भाग, श्रीलाल पिता हरिसिंह जाति सोधिया पता राजगढ़ 1/3 भाग, वल्लभबाई पिता हरिसिंह जाति सोधिया पता राजगढ़ 1/3 भाग ; 117/7/1 शिवलाल पिता दुलेशिंह जाति सोधिया पता जीरापुर ; 117/7/2 अर्जुनसिंह पिता दुलेशिंह जाति सोधिया पता राजगढ़ ; 117/7/3 रोडसिंह पिता दुलेशिंह जाति सोधिया पता राजगढ़ ; 117/7/4 बहादुरसिंह पिता दुलेशिंह जाति सोधिया पता राजगढ़ ; 117/7/5 सिद्धसिंह पिता दुलेशिंह जाति सोधिया पता राजगढ़ ; 117/10 मांगू पिता भवाना जाति बलाई पता ताताखेड़ी ;	रामगढ़	24.74	0.0153

अनु क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिमोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पार्सप्लान एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)
2	88	88/1/1 मांगीलाल पिता लक्ष्मण जाति चमार पता रामगढ़ ; 88/1/2/1 नानूराम पिता बालू जाति चमार पता राजगढ़ ; 88/1/2/2 कंकूबाई पति मांगीलाल जाति चमार पता राजगढ़ ; 88/1/2/3 रोडा पिता नारान जाति चमार पता राजगढ़ ; 88/1/2/4 प्रेमबाई बेवा रामचंद्र जाति चमार पता राजगढ़ 1/3 भाग, जीतेन्द्र पिता रामचंद्र जाति चमार पता निवासी जीरापुर राजगढ़ 1/3 भाग, महेश पिता रामचंद्र जाति चमार पता निवासी 1/3 भाग ; 88/1/2/5 कैलाश पिता ऊकार जाति चमार पता रामगढ़ ; 88/2 & 88/4 रतनसिंह पिता भेरुसिंह जाति सोध्या पता कोटडा ; 88/3 बालचन्द्र पिता रामलाल जाति गूजर पता राजगढ़ ; 88/5 शासकीय ; 88/6 शासकीय ; 88/7 कालू पिता नाथू जाति बलाई पता राजगढ़ ; 88/8 रूपा पिता गुलाब जाति बलाई पता राजगढ़	रामगढ़	10.68	0.1862
3	33/2	मांगू पिता भवानी जाति बलाई पता लालाखेड़ी	रामगढ़	0.61	0.0044
4	34	मांगू पिता भवानी जाति बलाई पता लालाखेड़ी	रामगढ़	0.77	0.0025
5	36/2	राजू पिता रोशनसिंह जाति गूजर पता कुण्डालिया	रामगढ़	1.80	0.0028
6	36/1	राजू पिता रोशनसिंह जाति गूजर पता कुण्डालिया	रामगढ़	1.80	0.0096
योग				40.39	0.2208

पत्र क्र.-2138-2022-23

प्रारूप-घ
नियम 6 का देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है।) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक: 1792 दिनांक: 20/09/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने कुण्डलिया बाँया तट नहर परियोजना के लिए ग्राम कोटड़ा तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ में सिंचाई जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है।

वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक: 21/10/2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगनों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची (1)					
ग्राम - कोटड़ा			तहसील - जीरापुर		
क्र.	विवरण	कुल रकबा	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)		
1	निजी भूमि कुण्डलिया नहर परियोजना बाँयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	63.40		0.8294	
	योग	63.40		0.8294	
अनुसूची (2)					
(1) कुण्डलिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम कोटड़ा तहसील जीरापुर जिला राजगढ़					
अनु क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइपलाइन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)
1	141	141/1/1 शासकीय गैरगुमकिन ; 141/1/2 सजनबाई पति नन्दा जाति गुजर पता बाजना ; 141/1/3 संतराम पिता नन्दा जाति गुजर पता सुसनेर 1/2 भाग, सजनबाई बेवा नन्दा जाति गुजर पता बाजना 1/2 भाग ; 141/2 शासकीय ; 141/3 शासकीय	कोटड़ा	2.89	0.0558
2	140/1	पूरा पि. पर्वतसिंह कालीबाई आ. पर्वतसिंह भेरूअमरसिंह मांगू नाथू मोती गिरधारी पिता माधू दरियावबाई बेवा माधू जाति सोधिया	कोटड़ा	0.63	0.0049
3	140/2	140/2/1 गोकुलसिंह पिता नग्गा जाति सोधिया पता राजगढ़ ; 140/2/2 शिवसिंह पिता नग्गा जाति सोधिया पता राजगढ़ ; 140/2/3 महेंद्रसिंह पिता नग्गा जाति सोधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	0.21	0.0194
4	140/3	140/3/1 ईश्वरसिंह पिता दुलेशिंह जाति सोधिया पता राजगढ़ ; 140/3/2 विद्वानसिंह पिता रूग्नाथसिंह जाति सोधिया पता राजगढ़ ; 140/3/3 किशनलाल पिता भंवरलाल जाति सोधिया पता राजगढ़ ; 140/3/4 बदेसिंह पिता भंवरलाल जाति सोधिया पता राजगढ़ ; 140/3/5 गंगाबाई देवा करणसिंह नैनसिंह केवलसिंह विनोद बाबूसिंह पुरीबाई पिता करणसिंह जाति सोधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	0.35	0.0186
5	139/1/3	रतनासिंह पिता गिरवरसिंह जाति सोधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	0.37	0.0058
6	139/1/1	मंगीलाल पिता रतनलाल जाति सोधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	0.37	0.0177
7	139/1/4	दयावसिंह पिता गिरवरसिंह जाति सोधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	0.37	0.0165
8	139/1/2	139/1/2/1 बालूसिंह पिता नाथूसिंह जाति सोधिया पता राजगढ़ ; 139/1/2/2 मोहनसिंह पिता नाथूसिंह जाति सोधिया पता कोटड़ा	कोटड़ा	0.37	0.0139
9	137	137/1 ऊंकारलाल पिता रामलाल जाति सोधिया पता राजगढ़ ; 137/2 भेरूसिंह पिता कालूसिंह जाति सोधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	2.38	0.0851

अनु. क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिमोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पार्सलार्डन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित मूनि हेक्टर में)
10	136	136/1/1 मोड़सिंह जसवन पिता नापूलाल जाति सोधिया पता जीरापुर राजगढ़ ; 136/1/2 कनीराम पिता धिसा जाति सोधिया पता कोटड़ा जीरापुर राजगढ़ ; 136/2 मोड़सिंह जसवन पिता नापूलाल जाति सोधिया पता जीरापुर राजगढ़	कोटड़ा	1.46	0.0010
11	127/111/2	127/1/1 नारायणसिंह पिता मानजी जाति सोधिया पता जीरापुर; 127/1/2 कमलसिंह पिता बलवन्तसिंह जाति सोधिया पता राजगढ़ 127/2/1 मांगीलाल पिता रतनलाल जाति सोधिया पता राजगढ़; 127/2/2/1 बालुसिंह पिता नाधुसिंह जाति सोधिया पता राजगढ़; 127/2/2/2 मोहनसिंह पिता नाधुसिंह जाति सोधिया पता कोटड़ा राजगढ़; 127/2/3 रतनसिंह पिता गिरवरसिंह जाति सोधिया पता राजगढ़; 127/2/4 दर्यावसिंह पिता गिरवरसिंह जाति सोधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	5.62	0.1500
12	129	लालसिंह नालू प्रबु कनिसरम रतन, गरीना परवत कालु एफ बागगा, मोहनलाल देवसिंह गौड़न एफ अनकर, गंगाराम किशन एफ देवजी, बदिलाल बलू एफ छतर, गोकुल एफ अनकर, गब्बा एफ केशा, हिरा एफ कानवारीया, रामलाल एफ अमरसिंह, अमरीबाई एच भिरू, कालु एफ जलाम, सीताराम गौड़न बट्टी एफ रामसिंह, मोहन एफ देवआ, बदनबाई एफ रामलाल, नारायण एफ भानवरी, घनश्याम एफ नारायण, मंगिलाल एफ अमरा, राधेश्याम एफ मंगलाल, रामसिंह एफ अमरा, सरकार भूमि, मोहनलाल एफ कानहाइलाल आदि	कोटड़ा	2.00	0.0989
13	129/12	129/12/1 रामलाल पिता किशनलाल जाति सोध्या पता राजगढ़ 1/2 भाग, प्रेमसिंह पिता किशनलाल जाति सोध्या पता राजगढ़ 1/2 भाग; 129/12/2 प्रभुबाई पिता भेरूलाल जाति सोध्या पता राजगढ़; 129/12/3 गीताबाई बेवा भेरूलाल जाति सोधिया पता राजगढ़; 129/12/4 सरदारबाई बेवा बापूलाल जाति सोधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग, गुमानसिंह दत्तक बापूलाल जाति सोधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग; 129/12/5 बालुसिंह पिता भेरूलाल जाति सोध्या पता राजगढ़	कोटड़ा	3.24	0.0340
14	129/11	129/11/1/1 बालुसिंह पिता भेरूलाल जाति सोध्या पता कोटड़ा, 129/11/1/2 कृष्णबाई पति दरियावसिंह जाति सोध्या पता कोटड़ा; 129/11/2 रामलाल पिता किशनलाल जाति सोध्या पता राजगढ़ 1/2 भाग, प्रेमसिंह पिता किशनलाल जाति सोध्या पता राजगढ़ 1/2 भाग; 129/11/3 शिवलाल पिता उदेसिंह जाति सोधिया पता कोटड़ा; 129/11/4 सरदारबाई बेवा बापूलाल जाति सोधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग, गुमानसिंह दत्तक बापूलाल जाति सोधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग	कोटड़ा	2.34	0.0222
15	15	चन्द्र पिता ऊंकार जाति कहर पता राजगढ़	कोटड़ा	1.62	0.0275
16	16	रूपबाई वि धुला नन्दा भवरिया पिता कवीरिया भवरबाई बेवा कवीरिया जाति कहर	कोटड़ा	1.32	0.0193
17	17	रूपबाई वि धुला नन्दा भवरिया पिता कवीरिया भवरबाई बेवा कवीरिया जाति कहर	कोटड़ा	0.99	0.0140
18	18	18/1 भेरूसिंह पिता ऊंकार जाति कहर पता कुडलिया; 18/2 चन्द्रसिंह पिता ऊंकार जाति कहर पता कुण्डालिया; 18/3 किशोर पिता ऊंकार जाति कहर पता कोटड़ा; 18/4 प्रभुलाल पिता ऊंकार जाति कहर पता राजगढ़	कोटड़ा	1.88	0.0174
19	14/2	14/2/1 रामलाल लीलाबाई पिता अमरसिंह जाति सोधिया पता कोटड़ा; 14/2/2 नारायणसिंह पिता रूचनाथ जाति सोधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	2.14	0.0054
20	14/1	14/1/1 लालसिंह पिता फत्ता जाति गुजर पता राजगढ़; 14/1/2 देवीलाल पिता फत्ता जाति गुजर पता कुण्डालिया; 14/1/3 फूलसिंह पिता फत्ता जाति गुजर पता राजगढ़	कोटड़ा	3.23	0.0112
21	13	रामकलाबाई पति रामलाल जाति सोधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	0.62	0.0074
22	12	12/1 भुलीबाई पति नारायणसिंह जाति सोधिया पता राजगढ़; 12/2 रामकलाबाई पति रामलाल जाति सोधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	2.23	0.0230
23	10	10/1 रोड़ा जतनबाई धापूबाई पिता कसन गंगाबाई पिता कसन जाति कहर पता कोटड़ा; 10/2 मांगीलाल लक्ष्मण कनीराम पिता पूरा नारायण पिता पूरा जाति कहर पता कोटड़ा; 10/3 देवसिंह राधेश्याम बालचंद पिता शिवसिंह मुकुंद मांगीबाई कोशल्याबाई पिता शिवसिंह भवरीबाई बेवा शिवसिंह जाति कहर पता कोटड़ा	कोटड़ा	0.71	0.0164

अनु क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)
24	9	9/1 रोड़ा जतनबाई धापूबाई पिता कसन गंगाबाई पिता कसन जाति कहार पता कोटड़ा; 9/2 मांगीलाल लक्ष्मण कनीराम पिता पूसा नारायण पिता पूसा जाति कहार पता कोटड़ा; 9/3 देवसिंह राधेश्याम बालचंद पिता शिवसिंह मुकुंद मांगीबाई कौशल्याबाई पिता शिवसिंह भवरीबाई बेवा शिवसिंह जाति कहार पता कोटड़ा	कोटड़ा	0.43	0.0050
25	8/2/1	मांगीलाल पिता रतनलाल जाति सौधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	0.44	0.0016
26	8/2/2	8/2/2/1 मोहनसिंह पिता नाथसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़; 8/2/2/1 बालूसिंह पिता नाथसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	0.44	0.0083
27	8/1/1	8/1/1/1 कनीराम पिता धीसालाल जाति सौधिया पता राजगढ़; 8/1/1/2 भेरूसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	1.16	0.0122
28	8/1/2	राजाबाई पति बलवन्त सिंह जाति सौधिया पता जीरापुर राजगढ़	कोटड़ा	0.57	0.0110
29	8/1/3	दयावसिंह पिता गिरवरसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	0.44	0.0064
30	2	गोरधन पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ़ 1/5 भाग, रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ़ 1/5 भाग, प्रेमबाई पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ़ 1/5 भाग, देवबाई पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ़ 1/5 भाग, सुरजबाई बेवा मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ़ 1/5 भाग	कोटड़ा	0.37	0.0134
31	1	गोरधन पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ़ 1/5 भाग, रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ़ 1/5 भाग, प्रेमबाई पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ़ 1/5 भाग, देवबाई पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ़ 1/5 भाग, सुरजबाई बेवा मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ़ 1/5 भाग	कोटड़ा	1.34	0.0004
32	34	34/1 बनेसिंह पिता रूग्नाथ जाति सौधिया पता राजगढ़; 34/2 गंगाबाई बेवा करणसिंह नैनसिंह केवलसिंह विनोद बाबूसिंह पुरीबाई पिता करणसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़; 34/3 बदेसिंह पिता भवरलाल जाति सौधिया पता राजगढ़; 34/4 किशनलाल पिता भवरलाल जाति सौधिया पता राजगढ़; 34/5 विक्रमसिंह पिता दुलेशिंह जाति सौधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	1.15	0.0070
33	35/4	मोहनसिंह पिता नाथसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	0.47	0.0044
34	35/2/1	दयावसिंह पिता गिरवरसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	0.45	0.0038
35	35/2/2	रतनसिंह पिता गिरवरसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	0.46	0.0054
36	39	39/1 & 39/3 भेरूसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़; 39/2/1 बद्रिसिंह आ. पूरसिंह जाति सौधिया; 39/2/2 सरदारसिंह पिता पूरसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़; 39/2/3 बालूसिंह पिता पूरसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	0.95	0.0072
37	38/1	38/1/1/1 & 38/1/2 दरयावसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़; 38/1/1/2 गंगाराम पिता हिन्दुसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़; 38/1/1/3 नारायणसिंह पिता घिसा जाति सौधिया पता कोटड़ा	कोटड़ा	0.98	0.0023
38	41	41/1, 41/4/1 & 41/4/6 बालूसिंह पिता पूरसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़; 41/2 & 41/3 भेरूसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़; 41/4/2 & 41/4/4 बद्रिसिंह आ. पूरसिंह जाति सौधिया; 41/4/3 & 41/4/5 सरदारसिंह पिता पूरसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	3.42	0.0112
39	42	42/1/1 रामलाल पिता किशनलाल जाति सौधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग, प्रेमसिंह पिता किशनलाल जाति सौधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग; 42/1/2 रामलाल पिता भेरूलाल जाति सौधिया पता जीरापुर; 42/1/3 तोफानसिंह पिता उदिसिंह जाति सौधिया पता कोटड़ा; 42/2 सरदारबाई बेवा बापूलाल जाति सौधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग, गुमानसिंह दत्तक बापूलाल जाति सौधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग	कोटड़ा	2.77	0.0110

अनु क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाईपलाईन एवं ड्रवट विज्ञान के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)
40	43/1	43/1/1 & 43/1/6 गंगाबाई देवा करणसिंह नैनसिंह केवलसिंह विनोद बाबूसिंह पुरीबाई पिता करणसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़; 43/1/2 & 43/1/7 अर्जुनसिंह पिता बदेसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़; 43/1/3 & 43/1/9 सुल्तानसिंह पिता किशनलाल जाति सौधिया पता राजगढ़; 43/1/4/1 & 43/1/10/1 बनेसिंह पिता रूगनाथ जाति सौधिया पता राजगढ़; 43/1/4/2 & 43/1/10/2 मंगीलाल पिता रूगनाथसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़; 43/1/4/3 & 43/1/10/3 विदानसिंह पिता रूगनाथसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़; 43/1/5/1 & 43/1/8/1 विक्रमसिंह पिता दुलैसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़; 43/1/5/2 & 43/1/8/2 कमलसिंह पिता दुलैसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़; 43/1/5/3 & 43/1/8/3 ईश्वरसिंह पिता दुलैसिंह जाति सौधिया पता राजगढ़	कोटड़ा	4.84	0.0126
41	62	62/1/2 & 62/1/4 रामलाल पिता किशनलाल जाति सौधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग, प्रेमसिंह पिता किशनलाल जाति सौधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग 62/1/3 कालूसिंह पिता उदेसिंह जाति सौधिया पता कोटड़ा जीरापुर राजगढ़; 62/1/6 नारायण पिता उदेसिंह जाति सौधिया पता कोटड़ा; 62/2 सरदारबाई देवा बापूलाल जाति सौधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग, गुमानसिंह दत्तक बापूलाल जाति सौधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग	कोटड़ा	1.31	0.0083
42	59	59/1/1 & 59/1/5 रामलाल पिता भेरुलाल जाति सौधिया पता जीरापुर राजगढ़, 59/1/2 और 59/1/4 रामलाल पिता किशनलाल जाति सौधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग, प्रेमसिंह पिता किशनलाल जाति सौधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग; 59/1/3 कालूसिंह पिता उदेसिंह जाति सौधिया पता कोटड़ा जीरापुर राजगढ़; 59/1/6 नारायण पिता उदेसिंह जाति सौधिया पता कोटड़ा; 59/2, 59/3 & 59/4 सरदारबाई देवा बापूलाल जाति सौधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग, गुमानसिंह दत्तक बापूलाल जाति सौधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग	कोटड़ा	3.83	0.0039
43	50/5	50/5/2 करणबाई पिता भेरूसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम कोटड़ा	कोटड़ा	0.30	0.0085
योग				63.40	0.8294

पत्र क्र.-2136-2022-23

प्रारूप-घ
नियम 6 का देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है।) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक: 1790 दिनांक: 20/09/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने कुण्डालिया बाँया तट नहर परियोजना के लिए ग्राम कुण्डालिया तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ में सिंचाई जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है।

वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक: 21/10/2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चप्सा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची (1)					
ग्राम - कुण्डालिया			तहसील - जीरापुर		
क्र.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)	
		कुल रकबा			
1	निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना बाँया तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	94.26		1.5912	
	योग	94.26		1.5912	
अनुसूची (2)					
(1) कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम कुण्डालिया तहसील जीरापुर जिला राजगढ़					
अनु क्र.	खसरा क्र.	भूमि स्वामी/अधिमोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टर में)	भूमिगत पाइपलाइन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टर में)
1	684	चंद्र एफ उकेर, कुसात्याबाई डब्ल्यू / ओ गोविंदगिरी, भगवंतसिंह राधेश्याम एफ रतनलाल, गोवर्धन एफ रामसिंह, सरकार भूमि, शिवसिंह एफ मंगीलाल, भागीरथ ग्यांसिंह विष्णुसाद एफ बदिलालाल, पार्वतिबाई एच बदलालाल, शंकरलाल एफ रुग्नाथ, आदसिंह सुजंसिंह मोहनलाल एफ हिरलाल, रतनलाल एफ फूलसिंह, रोडिबाई डब्ल्यू फूलसिंह, मंगीलाल मेहतबाई, नाथुलाल, उकेर एफ कालू, राम मय्या कालू नाथू एफ भागना इत्यादि ...	कुण्डालिया	1.06	0.3464
2	683	सरकार भूमि, रोशन एफ देवआ, मदन भगवान एफ सेना, प्रभुबाई डब्ल्यू नंद, शिवनारायण एफ नंद, कनीसिंह फोलसिंह कानिराम एफ मोतीलाल, सोहानबाई, कबाबाई, श्याम मोहन भवारबाई, भिरू, नाथू प्रभु लाल चंद कानी, रामकावबाई, मोतीलाल, छगनलाल, गौर्दन, लन्दबाई, पुरिणी, लिलाबाई, क्षितिशन इत्यादि	कुण्डालिया	0.67	0.0513
3	657	657/1 रतनलाल रामप्रसाद मांगीलाल पूरन पू राकेश आ. चन्द्रलाल जाति महाजन ; 657/2/1 रोशनसिंह पिता मेहताबसिंह जाति पूजर ; 657/2/2 रामलाल रोशनसिंह देवसिंह कमलाबाई गीताबाई धापुबा पुई पिता मेहताबसिंह जाति गुर्जरर्ज ; 657/2/3 देवसिंह पिता मेहताबसिंह जाति गुर्जर ; 657/3/1 देवसिंह पिता मेहताबसिंह जाति गुर्जरर्ज ; 657/3/2 रूपाबाई पुत्री पु गोपी जाति गायर , दत्ता तूई पुत्री पु गोपी जाति गायर ; 657/4 रतनलाल रामप्रसाद मांगीलाल पूरन पू राकेश आ. चन्द्रलाल जाति महाजन	कुण्डालिया	6.59	0.0977

क्र.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा(हेक्टर में)		
		कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)	
4	656	कुन्डालिया	42.28	0.4504
5	135	कुन्डालिया	25.10	0.2956
6	9	कुन्डालिया	11.22	0.1062
7	6/1/4	कुन्डालिया	2.00	0.1749

क्रं.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
		कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)	
8	1/1/2 1/1/2/1 रेशंवाई एच प्रभु, रमेश भारत जशोडाबाई सजानबाई रामक्यनीबाई एफ प्रभु जाति बलाई पता निवासी ग्राम, 1/1/2/2 ऊकार पिता प्यारजी जाति बलाई पता राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वाम, 1/1/2/3 लीलाबाई सीताबाई बेवा गोरधन दुर्गा दु बा गा ई राजूबा जू ई पुत्री पु गोरधन ना.बा. सर.माता घीसीबाई बेवा गोरधन जाति बलाई पता निवासी ग्राम	कुन्डालिया	2.00	0.0308
9	672 672/1/1 रोडा पिता किशन जति काहर संबोधित राजगढ़; 672/1/2 देवसिंह राधेश्याम बालचन्द मुकून्द राधाबाई कालीबाई पिता शिवसिंह दर्यावबाई बेवा शिवसिंह जाति काहर; 672/1/3/1 गणेश रधन रामप्रसाद प्रिं मबाई देवबाई पिता मांगीलाल सुरजबाई बेवा मांगीलाल जाति काहर; 672/1/3/2 लछमन पिता पूरसिंह जाति काहर पता राजगढ़; 672/1/3/3 कनीराम पिता पुरा जाति काहर पता राजगढ़	कुन्डालिया	2.44	0.0197
10	671 671/1 नंदा पिता कन्वरलाल, भवारीबाई विधवा कनवारलाल जाति काहर पता राजगढ़, 671/2 0.1090 हेक्टर गैरमुमकिन 0.1090 (शासकीय)	कुन्डालिया	0.89	0.0181
योग			94.26	1.5912

पल्लवी वैध, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजगढ़ जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

प्र.क्र.ए.-7516

राजगढ़, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

सार्वजनिक सूचना
प्रारूप-ख
नियम 5 का नियम (2) देखिये

क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना बायीं तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम-गोरखपुरा, खैरासी तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ (12) से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील पंचौर से सारंगपुर एव खिलचौरपुर एव राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाये।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्य प्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

मोहनपुरा बायीं तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम-गोरखपुरा, खैरासी तहसील - राजगढ़, जिल्हा-राजगढ़

ग्राम -गोरखपुरा

अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	122	लोकेन्द्रसिंह पिता अभयसिंह जाती राजपूत	गोरखपुरा	1.417	0.004
2	123/1	बजरसिंह महावीरसिंह लोकेन्द्रसिंह योगेन्द्रसिंह हेमेशसिंह पिता अभयसिंह जाती राजपूत	गोरखपुरा	0.652	0.013
3	129	देवीसिंह भगवानसिंह पिता विजयसिंह कमलाबाई बेवा विजयसिंह कालुराम पिता केशर दरियावबाई पिता केशर गंगाबाई जमनाबाई पिता बापुलाल जाति दांगी	गोरखपुरा	0.506	0.008
4	128/1	गिरिराज प्रकाश महेश मनोज पिता भवानीशंकर हिमांशु पिता कैलाश नारायण कमलाबाई पिता मांगीलाल	गोरखपुरा	0.234	0.004
5	128/2	धापू बाई पति रामप्रसाद जाती ब्राह्मण जाती ब्राह्मण	गोरखपुरा	0.234	0.004
6	127/1	गिरिराज प्रकाश महेश मनोज पिता भवानीशंकर हिमांशु पिता कैलाश नारायण कमलाबाई पिता मांगीलाल जाती ब्राह्मण	गोरखपुरा	1.081	0.003
7	127/2	धापू बाई पति रामप्रसाद जाती ब्राह्मण	गोरखपुरा	1.081	0.003
कुल योग	7			5.205	0.039

ग्राम - खैरासी

1	180/1/1/1/1	नंदकिशोर पिता रामगोपाल जाती बैरागी	खैरासी	0.155	0.001
2	180/1/1/1/1	नंदकिशोर पिता रामगोपाल जाती बैरागी	खैरासी	0.155	0.004

3	180/1/1/1/2	गोपाल प्रसाद पिता रामगोपाल जाती बैरागी	खैरासी	0.155	0.004
4	180/1/1/2	रामचंद्र पिता गबरुदास जाती बैरागी	खैरासी	0.310	0.004
5	180/1/2	गोरधनदास पिता रामचंद्र जाती बैरागी	खैरासी	0.310	0.004
6	168/1	पवन पिता मांगीलाल जाती बैरागी	खैरासी	1.77	0.010
7	168/2	मांगीलाल पिता संबलसिंह जाती साँधिया	खैरासी	0.253	0.010
8	170	योगेश पिता मांगीलाल जाती बैरागी	खैरासी	0.645	0.004
9	169	भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह जाती साँधिया	खैरासी	1.442	0.010
10	156/2	मुकेश पिता प्रेमसिंह जाती साँधिया	खैरासी	0.106	0.001
11	135	हरिसिंह पिता बद्रीलाल जाती साँधिया	खैरासी	1.012	0.007
12	137/3/2	कालूसिंह पिता पुरजी जाती साँधिया	खैरासी	0.570	0.001
13	137/3/3	चन्द्रसिंह पिता पुरजी कालूसिंह पिता पुरजी जाती साँधिया	खैरासी	0.020	0.001
14	138/1	रघुनाथ पिता रामलाल जाती साँधिया	खैरासी	1.973	0.010
15	138/2	चन्द्रसिंह पिता रघुनाथ जाती साँधिया	खैरासी	0.506	0.010
16	139/1	मुकेश पिता प्रेमसिंह जाती साँधिया	खैरासी	1.030	0.005
17	139/2	विक्रमसिंह पिता प्रेमसिंह जाती साँधिया	खैरासी	1.031	0.005
18	125	कृष्णाबाई पिता दौलजी जाती साँधिया	खैरासी	0.974	0.005
19	118	कालूसिंह पिता पुरसिंह जाती साँधिया	खैरासी	4.06	0.034
20	115	रामगोपाल पिता कालूसिंह जाति साँधिया बनेसिंह पिता कालूसिंह जाति साँधिया, श्यामसुन्दर पिता कालूसिंह जाति साँधिया, गोरीशंकर पिता कालूसिंह जाति साँधिया	खैरासी	4.162	0.017
कुल योग	20			20.639	0.147

जूही गर्ग, सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन.

कार्यालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

रा.प्र.क्र.-02-अ-82-2022-2023-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 दिसम्बर 2022

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत लहगडुआ से गुटेरा मार्ग लम्बाई 04.20 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में लहगडुआ से गुटेरा मार्ग लम्बाई 04.20 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	हरई	ग्राम— गुटेरा प0ह0न0—21 ब0नं0—10 रा0नि0म0— धनौरा	1.धरमान, तुम्मू मिस्थी पिता मोरसी जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी 2.इन्द्रोबाई बेवा कंचलाल, संतोष, मनोज, राजोबाई, ब्रज कुमारी, असमकुमारी, रामताबाई पिता कंचलाल, गणपति बेवा राजलाल, सुस्मिता, शर्मिला, रविना,	88 में से 89 में से	0.090 0.190	लहगडुआ से गुटेरा मार्ग लम्बाई 04. 20 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के संबंध में

		रानीबाई पिता राजलाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी			
		3.सुखलिया पति बुधन, जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	90 में से	0.121	
		4.बुगनिबाई, जुगनिबाई, झिन्नो, चुक्कीबाई उर्फ ज्ञाना, श्यामबाई, बैजन्तीबाई, इन्द्रोबाई पिता मेहताप, आधार, देवसिंग, प्रेमवती पिता बालसी, मोहरवती पिता मानसी, भागवत पिता मेहतापसी जाति ओझा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	103 में से	0.300	
		कुल योग	04	0.701 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा.प्र.क्र.-04-अ-82-2022-2023-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत पाल्हरी-बड़डाढाना-तिघरा-बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पाल्हरी-बड़डाढाना-तिघरा-बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम- पाल्हरी प0ह0न0-42 ब0न0-163 रा0नि0म0- चौरई	1.देवीसिंह पिता तेजलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भूमिस्वामी 2.जलधारा पति टोपसिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	360/2 360/3 360/7 387/2 360/12 387/5	0.022 0.020	पाल्हरी- बड़डाढाना- तिघरा- बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि
			3.सुईया पिता गुलाब, सुशीला बेवा कालका, घनश्याम, पुष्पा, विनीता पिता कालका जाति गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी 4.जगतियाबाई पति देवीसिंग जाति लोधी निवासी ग्राम भूमिस्वामी 5.शिवप्रसाद पिता अनखलाल जाति गौली	388/1 389/1 360/5 389/3	0.028 0.036 0.066	कय किये जाने के संबंध में
		कुल योग		05	0.172 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा.प्र.क्र.-05-अ-82-2022-2023-भू-अर्जन

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत पाल्हरी-बड्डाढाना-तिघरा-बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पाल्हरी-बड्डाढाना-तिघरा-बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम- बांकानागनपुर प0ह0न0-43 ब0न0-195 रा0नि0म0- चौरई	1.चन्द्रा बेवा असकरन, भीम, लवंकुश, बलदेव पिता असकरन, तिनोद, विनीता, बरखा, नीतू पिता दौलत जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	668	0.003	पाल्हरी- बड्डाढाना- तिघरा- बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के
			2.केशराम पिता मेहताप जाति लोधी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	619/2 620/2	0.002	
			3.रामसुरेश पिता रमेश जाति लोधी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	620/3	0.003	
			4.तुलसिया बेवा खूबचंद, गनेश, कृष्णा, सोनाबाई तिलका, गनेशी	651	0.035	
			पिता खूबचंद जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	652 653 654 655 656	0.035	संबंध में
		कुल योग		05	0.078 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

क्र.-7352-भू-अर्जन-2022

सिवनी, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

प्रारूप-5
(नियम 10)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों को सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-

अनुसूची

- 1 - परियोजना का नाम - अपर तिलवारा परियोजना
2 - भूमि का विवरण :-
(क) जिला - सिवनी
(ख) तहसील - धनौरा
(ग) नगर/ग्राम - सुनवारा प.ह.नं. :- 34 रा.नि.मं. :- धनौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.28 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वातंत्र्य का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल (हे० में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्र. ग. त. कि. म.	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	677/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	जितेन्द्र आ० मानसिंह जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ठाकुर जी के मंदिर की भूमि	कीर्तिबाई की भूमि	जुबेदाबी की भूमि	धर्मेन्द्र की भूमि	-	-	-	-
2	677/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	कीर्तिबाई ध.प.स्व. श्यामसिंह नीलेश कुमार लता उर्फ निशा ना.बा. पिता श्यामसिंह पालक मां. कीर्तिबाई जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	जीतेन्द्र की भूमि	शासकीय रास्ता	जुबेदाबी की भूमि	करतार सिंह की भूमि	-	-	-	-
3	227/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	कांतिबाई उर्फ लक्ष्मीबाई बेवा राजेन्द्रकुमार आशीष मनीष आरती ज्योति पिता राजेन्द्र कुमार जाति बनिया नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ओमप्रकाश की भूमि	भगवानप्रसाद की भूमि	मुगोबाई की भूमि	ओमप्रकाश की भूमि	-	-	-	-
योग	3			0.28						-	-	-	-

- 1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसाौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांधी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

प्र.क्र.-002-अ-82-2021-22

सीहोर, दिनांक 15 दिसम्बर 2022

(अतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में जयित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क 30 सन् 2013).)

चूंकि राज्य शासन का यह प्रतीत होता है इसके संलग्न सूची खाने (4) में वर्णित भूमि एवं खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची (1)
भूमि का वर्णन

जिला	तहसील / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	धारा 12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
सीहोर	जावर / केशोपुर	10317.14	कार्यपालन यंत्री जल ससाधन संभाग सीहोर	कान्याखड़ी परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

अनुसूची (2)

कान्याखड़ी परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम केशोपुर के आबादी में स्थित मकानों के अर्जन का विवरण

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	सर्वे नंबर	मकान नंबर	रकबा (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5
1	कैलाश पिता भवना	366/2	2	97.49
2	आत्माराम पिता भवना	366/2	3	115.68
3	फुलसिंह पिता भवना	366/2	4	98.13
4	मनोहर पिता पदमसिंह	366/2	5	44.47
5	विजयसिंह पिता दिलिप सिंह	366/2	6	123.02
6	कैलाशसिंह पिता दिलीपसिंह	366/2	7	50.31
7	मानसिंह पिता घासीराम	366/2	8	47.18
8	जीवनसिंह पिता घासीराम	366/2	9	34.64
9	दिकूमसिंह पिता घासीराम	366/2	10	34.64
10	संकट मोचन हनुमान मंदिर (ग्राम समिति) अध्यक्ष बाबुलाल पिता देवीसिंह	366/2	11	117.40
11	देव स्थान (ग्राम समिति) अध्यक्ष बाबुलाल पिता देवीसिंह	366/2	12	126.89
12	रामदेव बाबा मंदिर (ग्राम समिति) अध्यक्ष बाबुलाल पिता देवीसिंह	366/2	13	92.34
13	कमल सिंह पिता रसुल जी	366/2	14	99.00
14	मायाराम पिता रसुल जी	366/2	15	99.54
15	गौरीशंकर पिता मायाराम	366/2	16	113.60
16	जीवनसिंह पिता रसुलजी	366/2	17	56.82

17	ममलेश कुमार पिता रसुलजी	366/2	18	111.93
18	प्रेमबाई पति भैयालाल	366/2	19	83.54
19	विजेन्द्र पिता चरणलाल	366/2	20	59.98
20	दिनोद पिता चरणलाल	366/2	21	59.37
21	अनिल पिता उदलसिंह	366/2	22	50.65
22	सुनील पिता उदलसिंह	366/2	23/1	56.81
23	जितेंद्र पिता उदलसिंह		23/2	25.08
24	उदलसिंह पिता रसूलसिंह		23/3	60.40
25	केशर बाई पति भवाना	366/2	24	83.74
26	देगमबाई पति तिरपालसिंह	366/2	25/1	48.51
27	राजलबाई पति पद्मसिंह		25/2	28.39
28	कृपालसिंह पिता पद्मसिंह		25/3	210.71
29	पिन्दू पिता कृपालसिंह		25/4	25.08
30	मेहरबानसिंह पिता गंगाराम	366/2	26	168.63
31	नाथुलाल पिता भवाना	366/2	27	112.40
32	राहुल पिता नाथुरिंह	366/2	28	85.75
33	बाबुलाल पिता कन्हैयालाल	366/2	29	30.30
34	ममलेश पिता रसुलजी	366/2	30	49.70
35	चेतनसिंह पिता फतेहसिंह	176	33	47.27
36	योगेन्द्र पिता फतेहसिंह	176	34	82.11
37	करणसिंह पिता उमराबसिंह	176	35	88.74
38	मनोहर सिंह पिता दिलीपसिंह	176	36	113.87
39	भेरूसिंह पिता शेर सिंह	176	37	150.52
40	देवेन्द्र पिता जियनसिंह	176	38	228.98
41	दोलतसिंह पिता हिम्मतसिंह	176	39	74.49
42	राजेन्द्र सिंह पिता दोलतसिंह	176	40	29.73
43	मानसिंह पिता घासीराम	176	41/1	27.92
44	विक्रम पिता घासीराम		41/2	54.68
45	जियनसिंह पिता घासीराम		41/3	84.83
46	मानसिंह पिता तकतसिंह	176	42	126.67
47	अजाबसिंह पिता मोहब्बतसिंह	176	43	103.47
48	कृपालसिंह पिता मोहब्बतसिंह	176	44	100.89
49	प्रीतिपाल पिता भूरसिंह	176	45	50.19
50	कैलाश पिता दिलीपसिंह	176	46	111.62
51	हरेण ठाकुर पिता मेहरबानसिंह	176	47	92.96
52	राजेन्द्र सिंह पिता दोलतसिंह	176	48	25.31
53	मोहब्बतसिंह पिता भागीरथ सिंह	176	49	87.03
54	कृष्णाबाई पति बाबूलाल	176	50	95.34
55	गुलाबसिंह पिता भागीरथ	176	51/1	75.54
56	लखनसिंह पिता तखत		51/2	41.71
57	धर्मेन्द्रसिंह पिता अजाबसिंह		51/3	24.12
58	कृपालसिंह पिता मोहब्बतसिंह		51/4	34.97
59	शिशुपाल पिता लखनसिंह	176	52	94.21

60	बाबुलाल पिता देवीसिंह	176	53	117.65
61	बाबुलाल पिता देवीसिंह	176	54	56.10
62	कृपालसिंह पिता मोहबबतसिंह	176	55/1	28.05
63	अजाबसिंह पिता मोहबबतसिंह		55/2	28.05
64	लखनसिंह पिता तखत	176	56/1	17.25
65	मानसिंह पिता तखतसिंह		56/2	33.74
66	घीसूलाल पिता ढोकलसिंह	176	57	110.32
67	फुलसिंह पिता ढोकलसिंह	176	58	98.77
68	गुलाबसिंह पिता भागीरथ	176	59	108.27
69	नरेन्द्र सिंह पिता बाबुलाल	176	60	183.81
70	महेन्द्र पिता बाबुलाल	176	61	136.25
71	महेन्द्र पिता बाबुलाल	176	62	21.93
72	नरेन्द्रसिंह पिता बाबुलाल	176	63	200.68
73	मोहनसिंह पिता ढोकलसिंह	176	64	208.27
74	बलवानसिंह पिता फुलसिंह	176	65	34.41
75	लालजीराम पिता गंगाराम	176	81	60.89
76	हरिसिंह पिता अमरसिंह	176	82	21.18
77	कमलसिंह पिता लालजी राम	176	83	88.16
78	फुलसिंह पिता हरनाथ	176	84	136.06
79	हरनाथ सिंह पिता लक्ष्मणसिंह	176	85	93.90
80	रवि पिता बलवत सिंह	176	86	12.60
81	भागीरथ पिता बापुसिंह	176	87	69.40
82	विक्रमसिंह पिता कन्हैयालाल	176	88	52.98
83	विक्रमसिंह पिता कन्हैयालाल	176	89	83.07
84	चन्द्र पिता कन्हैयालाल	176	90	67.72
85	धर्मन्द्रसिंह पिता बाबूलाल	176	91	69.60
86	ज्ञानसिंह पिता शंकरलाल	176	93	46.40
87	गम्पूलाल पिता मंदरूप जी	176	94	116.34
88	भेरुसिंह पिता शंकरलाल	176	95	23.60
89	शंकरलाल पिता मंदरूप सिंह	176	96	95.49
90	लखनसिंह पिता देवीसिंह	176	97	205.26
91	चेतनसिंह पिता नारायणसिंह	176	98/1	10.65
92	नारायणसिंह पिता रघुनाथसिंह		98/2	26.09
93	भादरसिंह पिता नारायणसिंह	176	99	46.75
94	परसराम पिता नारायण सिंह	176	100	72.98
95	चन्द्रसिंह पिता कन्हैयालाल	176	101	103.21
96	रायसिंह पिता भागीरथ	176	102	43.44
97	बलवान सिंह पिता भागीरथ	176	103	61.27
98	रामसिंह पिता दरियावसिंह	176	104/1	57.42
99	रामसिंह पिता दरियावसिंह		104/2	28.52
100	नारायण सिंह पिता रघुनाथसिंह	176	105	44.72
101	भादरसिंह पिता नारायण सिंह	176	106	33.00
102	रतनसिंह पिता दरियावसिंह	176	107/1	44.13
103	रतनसिंह पिता दरियावसिंह		107/2	25.52

104	बजेसिंह पिता देवकरण	176	108	193.73
105	भीमसिंह पिता हरनाथसिंह	176	109	213.10
106	पवित्रा पति ज्ञानसिंह	176	110	194.80
107	कान्ताबाई पति रूपसिंह	176	111	205.00
108	चेतनसिंह पिता कुमरसिंह	176	112	154.11
109	देवेन्द्र पिता मनोहरसिंह	176	114	131.52
110	ज्ञानसिंह पिता पुरणसिंह	176	115	115.13
111	दोलतसिंह पिता हिम्मतसिंह	176	116	51.60
112	घासीराम पिता मोतीसिंह	176	117	51.60
113	ज्ञानसिंह पिता पुरणसिंह	176	118	78.76
114	मेहरबानसिंह पिता हिम्मतसिंह	176	119	72.44
115	राजेन्द्र पिता दोलतसिंह	176	120	93.51
116	मांगीलाल पिता हरनाथसिंह	176	121/1	53.47
117	मानसिंह पिता हरनाथसिंह		121/2	148.31
118	मनोहरसिंह पिता दिलीपसिंह	176	122	83.88
119	भेरूसिंह पिता शेरसिंह	176	123	74.41
120	फतेसिंह पिता उमरावसिंह	176	124	99.70
121	करणसिंह पिता उमरणसिंह	176	125	86.45
122	बाबूलाल पिता पूरणसिंह	176	126	69.88
123	गुलाबसिंह पिता पुरणसिंह	176	127	68.13
124	सवाईसिंह पिता बाबूलाल	176	128	16.98
125	बद्रीलाल पिता पुरणसिंह	176	129	87.44
	योग			10317.14

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग आष्टा जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग आष्टा जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढ़ायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह,
जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश

प.क्र.-4686-रीडर-1-2022-रा.प्र.क्र.-08-अ-82-2020-2021

बड़वाह, दिनांक 29 नवम्बर 2022

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 719 /सी-1/2021, बड़वाह, दिनांक 08.03.2021 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आंर0डी0 53.63 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम- खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- गुमटी, प.ह.नं. 29, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.03.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- गुमटी, प.ह.नं. 29	3/1	0.032
			30/1	0.010
			30/3	0.040
			31	0.062
			32	0.006
			39/5	0.085
			52/4	0.005
			52/12	0.047
		52/14	0.073	

निरंतर- 2

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- गुमटी, प.ह.नं. 29	56/1	0.028
			56/2	0.032
			56/3	0.060
			88/1	0.065
			166/1	0.018
			88/3	0.030
			88/10	0.010
			165	0.058
			166/3	0.106
			170	0.076
			171/1	0.036
			311/3	0.020
			171/2	0.077
			172/1	0.093
			172/2	0.028
			174/1	0.088
			175/1	0.038
			299	0.003
			175/2	0.009
			177	0.010
			179	0.004
			180	0.032
			181	0.104
			183/1	0.026
			183/2	0.065
			191/1	0.010
			191/2	0.046
192/1	0.076			
310	0.008			
330/2	0.038			
404/2	0.012			
408	0.029			
कुल योग			41	1.695

प.क्र.-4709-रीडर-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-07-अ-82-2020-21

बड़वाह, दिनांक 30 नवम्बर 2022

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 6728 /री-1/2021, बड़वाह, दिनांक 08.03.2021 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 53.63 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम- खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बावड़िया, प.ह.नं. 29, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.03.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- बावड़िया, प.ह.नं. 29,	63/1	0.016
			65/3	0.010
			80/13	0.003
			107/5	0.077
			133/1	0.003
खरगोन	सनावद	ग्राम- बावड़िया, प.ह.नं. 29,	135/1 ब	0.058
			133/2	0.027
			136	0.044
			137	0.083
कुल योग			09	0.321

बी.एस.कलेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी
भकनगांव, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र.-1770-भू-अर्जन-री-1-2022

भीकनगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2022

प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलाई बजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पचम्बा, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पचम्बा, प.ह.नं.- 42,	8/1/4	0.056
			14	0.020
			15	0.038
			18/2	0.004
			86/4/2	0.042

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पचम्बा, प.ह.नं.- 42,	87/2, 88/2	0.057
			87/188/1	0.070
			84/3	0.056
			98/3	0.051
			98/4	0.046
			98/2/6	0.022
			98/2/7	0.044
			116/2	0.036
			115/1	0.076
			115/2	0.026
कुल योग			15	0.644

क्र.-1772-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-अ-82-2022-2023

प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा मार्गको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणीय पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलाई, तहसील- भीकनगांव से ग्राम- बडिया तहसील भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन का निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- जेतगढ़, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन-यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय को घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सदाम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप लेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- जेतगढ़, प.ह.नं.- 42,	6	0.006
			77/1	0.024
			77/2	0.036
कुल योग			03	0.066

क्र.-1774-भू-अर्जन-री-1-2022

प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मालखेड़ा, प.ह.नं.- 96, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- मालखेड़ा, प.ह.नं.- 96,	70/3	0.030
			71/2	0.020
			72	0.017
			73/1	0.021
			73/2	0.022

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— मालखेड़ा, प.ह.नं.— 96,	73/3	0.026
			74/1	0.023
			74/2	0.002
			85/1	0.012
			85/3	0.008
			85/4	0.025
			86/1	0.050
			86/3	0.062
			86/2	0.063
			87/2	0.023
			87/3	0.038
			111/1	0.064
			111/2	0.018
			111/3	0.031
कुल योग			19	0.555

क्र.-1776-भू-अर्जन-री-1-2022

प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-187 व 189 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मुहाली प.ह.नं.- 75, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- मुहाली प.ह.नं.- 75,	176/2 Y	0.070
			30/4	0.158
			30/3/3	0.036
			30/3/2	0.040
			30/3/1	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- मुहाली प.ह.नं.- 75,	133/2	0.002
			133/7	0.013
			133/3	0.022
			133/6	0.022
			133/4	0.022
			133/5	0.024
			136	0.018
			138/2	0.005
			139/2	0.008
			139/4	0.013
			139/3	0.055
			139/5	0.015
			145/1	0.068
			145/2	
			146/1	0.040
146/2				
कुल योग			19	0.633

मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

क्रमांक-12121-भू-अर्जन-2022

राजगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर 2022

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम लश्करपुर की भूमि के अर्जन का प्रस्ताव पहुँच मार्ग हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

पार्वती सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पहुँच मार्ग हेतु भूमि के अर्जन का प्रस्ताव ग्राम

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	रामेश्वर पिता रामनारायण जाति धाकड़ भू-स्वामी	134/1/1/1	0.506	0.073
	योग -	1	0.506	0.073
2	पुरुषोत्तम पिता रामलाल हिस्सा 1/2, मनीष पिता रामलाल हिस्सा 1/2, जाति धाकड़ भू-स्वामी	134/1/3	0.063	0.005
	योग -	1	0.063	0.005
3	कमलसिंह पिता बल्देव जाति धाकड़ भू-स्वामी	129/2	0.380	0.041
	योग -	1	0.380	0.041
4	कृष्णाबाई पति जमनाप्रसाद जाति धाकड़ भू-स्वामी	126/1	1.012	0.148
	योग -	1	1.012	0.148
5	शिवनारायण पिता भंवरलाल जाति धाकड़ भू-स्वामी	126/2	0.329	0.045
	योग -	1	0.329	0.045
6	रामसिंह पिता देवचन्द जाति धाकड़ भू-स्वामी	128	0.569	0.130
	योग -	1	0.569	0.130
7	शिवचरण पिता देवबक्श जाति धोबी भू-स्वामी	97/1/4	0.622	0.064
	योग -	1	0.622	0.064
8	गोकलबाई पति पदमसिंह जाति धाकड़ भू-स्वामी	97/2	0.253	0.064
	योग -	1	0.253	0.064
9	सोदराबाई बेवा रंगलाल जाति धाकड़ भू-स्वामी	99/1/1	0.240	0.060
	योग -	1	0.240	0.060
10	महेशकुमार पिता हरलाल जाति धाकड़ भू-स्वामी	99/1/2	0.241	0.060
	योग -	1	0.241	0.060
11	रामचन्द्र पिता शिवलाल जाति धाकड़ भू-स्वामी	99/2	0.949	0.105
	योग -	1	0.949	0.105
12	कांताबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ भू-स्वामी	134/1/2	0.126	0.011
	योग -	1	0.126	0.011
	कुल योग-	12	5.290	0.806

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-15122-भू-अर्जन-2022

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम मंगतपुर की भूमि के अर्जन का प्रस्ताव पहुँच मार्ग हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

पार्वती सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पहुँच मार्ग हेतु भूमि के अर्जन का प्रस्ताव ग्राम मंगतपुर

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	ममताबाई पति हेमराज जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	75	1.391	0.130
	योग --	1	1.391	0.130
2	हेमराज पिता मनीराम जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	77/1/1	0.822	0.091
	योग --	1	0.822	0.091
3	मुंशीलाल पिता बापूलाल जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	77/2	0.329	0.039
	योग --	1	0.329	0.039
4	गीताबाई बेवा गोरधन हि. 1/4, फूलसिंह पिता गोरधन हि. 1/4, शीलाबाई पुत्री गोरधन हि. 1/4, ममताबाई पुत्री गोरधन हि. 1/4 जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	78/1	0.521	0.038
	योग --	1	0.521	0.038
5	ओमप्रकाश पिता हरीसिंह जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	78/2	0.521	0.038
	योग --	1	0.521	0.038
6	विष्णुप्रसाद पिता लालजीराम जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	78/3	0.522	0.038
	योग --	1	0.522	0.038

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
7	कृष्णबल्लभ पिता लालजीराम जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	78/4	0.522	0.038
	योग -	1	0.522	0.038
8	अवधनारायण पिता विष्णुप्रसाद हि. 1/3, चंदनसिंह पिता विष्णुप्रसाद हि. 1/3, महेशकुमार पिता विष्णुप्रसाद हि. 1/3 जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	79/1	1.334	0.102
	योग -	1	1.334	0.102
9	नवलसिंह पिता टीकाराम जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	79/2	1.334	0.126
	योग -	1	1.334	0.126
10	सम्पतबाई पति विष्णुप्रसाद जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	91/1/1/1	0.380	0.027
	योग -	1	0.380	0.027
11	कान्तीबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ पता नि. लश्करपुर राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	91/1/1/2	0.379	0.025
		91/2/3	0.249	0.017
	योग -	2	0.628	0.042
12	कुन्जीलाल पिता टीकाराम जाति धाकड़ पता मंगतपुर राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	91/1/2	0.250	0.064
		94/1	0.417	0.030
	योग -	2	0.667	0.094
13	रामनारायण पिता चन्दनसिंह हि. 1/2, प्रेमनारायण पिता चन्दनसिंह हि. 1/2 जाति नाई पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	91/2/1	0.419	0.050
		94/2/1	0.140	0.060
	योग -	2	0.559	0.110
14	भंवरलाल पिता चन्दनसिंह जाति नाई पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	91/3	0.629	0.047
		94/3	0.209	0.016
	योग -	2	0.838	0.063
15	देवकरण पिता किशनलाल जाति नट पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	92	0.101	0.101
	योग -	1	0.101	0.101
16	प्रेमनारायण पिता चन्दनसिंह जाति नाई पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	94/2/2	0.069	0.020
	योग -	1	0.069	0.020
	कुल योग-	20	10.538	1.097

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-15126-भू-अर्जन-2022

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रातिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बरोड़ी की भूमि के अर्जन का प्रस्ताव पहुँच मार्ग हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

पार्वती सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पहुँच मार्ग हेतु भूमि के अर्जन का प्रस्ताव ग्राम बरोड़ी

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	मदनलाल पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ भू-स्वामी	213/1/1	0.253	0.066
	योग -	1	0.253	0.066
2	मांगीलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड़ भू-स्वामी	213/1/2	1.214	0.222
	योग -	1	1.214	0.222
3	मथरालाल पिता खानाराम हिस्सा 1/2, बंशीलाल पिता खानाराम हिस्सा 1/2 जाति धाकड़ भू-स्वामी	224/2	0.088	0.060
	योग -	1	0.088	0.060
4	ज्वालाप्रसाद पिता मांगीलाल दत्तक लक्ष्मण जाति धाकड़ भू-स्वामी	225	0.063	0.030
	योग -	1	0.063	0.030
5	ज्वालाप्रसाद पिता मांगीलाल दत्तक लक्ष्मण जाति धाकड़ भू-स्वामी	227/2	0.424	0.030
	योग -	1	0.424	0.030
	कुल योग -	5	2.042	0.408

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-15127-भू-अर्जन-2022

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम तरेनी धाकड़ की भूमि के अर्जन का प्रस्ताव पहुँच मार्ग हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

पार्वती सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पहुँच मार्ग हेतु भूमि के अर्जन का प्रस्ताव ग्राम तरेनी धाकड़

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	दुलीचन्द्र पिता अमरसिंह जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	116/3	1.040	0.036
	योग -	1	1.040	0.036
2	कल्लू पिता राजाराम जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	116/4	0.520	0.026
	योग -	1	0.520	0.026
3	अमृतलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	120/8	0.584	0.103
		298/4	0.715	0.024
	योग -	2	1.299	0.127
4	सौरमबाई देवा बद्रीलाल, सुनील, राजेश, मुकूट, पंकज, अविनाश पिता बद्रीलाल, लक्ष्मीनारायण, रेशमबाई, रेखाबाई पिता भंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	298/1	0.608	0.019
	योग -	1	0.608	0.019
5	कंवरलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	298/2	0.715	0.024
	योग -	1	0.715	0.024
6	कैलाशचन्द्र पिता हजारीलाल जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	298/3/1	0.418	0.010
	योग -	1	0.418	0.010
7	रामसिंह पिता हजारीलाल जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	298/3/2	0.238	0.010
	योग -	1	0.238	0.010
8	अनोखसिंह पिता देवचन्द जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	299/2/1	0.707	0.041
	योग -	1	0.707	0.041
9	मांगीलाल पिता देवचन्द जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	299/1/2	1.240	0.041
	योग -	1	1.240	0.041
	कुल योग-	10	6.785	0.334

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-15128-भू-अर्जन-2022

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ की ग्राम हिरनखेड़ी की भूमि के अर्जन का प्रस्ताव पहुँच मार्ग हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

पार्वती सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पहुँच मार्ग हेतु भूमि के अर्जन का प्रस्ताव ग्राम हिरनखेड़ी

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	भगवतसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर भू-स्वामी	24/1/7/1	1.498	0.110
	योग -	1	1.498	0.110
2	बंशीलाल पिता हीरालाल जाति गुर्जर भू-स्वामी	26/1	1.316	0.090
	योग -	1	1.316	0.090
3	परमानंद, भरतराम, धर्मेन्द्र पिता मानसिंह, गीताबाई, सावित्रीबाई, सुनिताबाई पुत्री मानसिंह, कमलाबाई बेवा मानसिंह, रुपाबाई बेवा इंदरसिंह, प्रेमसिंह, रतनसिंह, गजराजसिंह, सविताबाई पिता इंदरसिंह, चन्दरसिंह पिता कनीराम जाति गुर्जर 1/4 हिस्सा, सर्जनसिंह, जगन्नाथसिंह, जाति गुर्जर हिस्सा 1/4, रामसिंह, गणपतसिंह, भारतसिंह पिता मोहनसिंह जाति गुर्जर हिस्सा 1/4, विश्रामसिंह, भगवतसिंह, अयोध्याई, शांतिबाई पिता चैनसिंह हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर भू-स्वामी	27	0.202	0.150
		28	3.098	0.045
	योग -	2	3.300	0.195
	कुल योग-	4	6.114	0.395

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्रमांक-भू-अर्जन-2022-995

घट्टिया, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

// प्रारंभिक अधिसूचना //

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशिय परियोजना के पंप हाउस 6 से डी.सी. 2 के बीच में सर्ज टैंक के निर्माण हेतु ग्राम ढाबलाधुता प.ह.नं. 22, तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के 0.05 हे. भूमि का अधिग्रहण करने के अंतर्गत तहसील घट्टिया के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/भूमिस्वामी एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (1) में उल्लेखित है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशिय परियोजना के पंप हाउस 6 से डी.सी. 2 के बीच में सर्ज टैंक के निर्माण हेतु ग्राम ढाबलाधुता प. ह.नं. 22, तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के 0.05 हे. भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4, 5 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात की प्रारंभिक प्रक्रिया नवीन भू-अर्जन के प्रकरणों में करने संबंधी कार्य पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत यह उल्लेख है कि "सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट-जहां धारा 40 के अधीन आत्यंतिकता अपबंधों की अवलंब लेते हुए भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है जहां समुचित सरकार सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट दे सकेगी" उक्त योजना जनहित में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अतः ऐसी दशा में धारा 40 के प्रावधान अनुसार अर्जन्सी को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक सामाघात निर्धारित अध्ययन से छूट दी गई है।

अतः भूमि का अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हे. में
1	कार्यपालन यंत्री नर्मदा क्षिप्रा विकास संभाग क्रमांक-8 सनावद जिला खरगोन, नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशिय परियोजना के पंप हाउस 6 से डी.सी. 2 के बीच में सर्ज टैंक के निर्माण हेतु ग्राम ढाबलाधुता प.ह.नं. 22, तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के 0.05 हे. भूमि का अधिग्रहण।	0.05 हे.

अनुसूची (2)

नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशिय परियोजना के पंप हाउस 6 से डी.सी. 2 के बीच में सर्ज टैंक के निर्माण हेतु ग्राम ढाबलाधुता प.ह.नं. 22, तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के 0.05 हे. भूमि का अर्जन।

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा हेक्टर में	अधिग्रहित रकबा हेक्टर में	परिसम्पत्ति
1	कंचनबाई पति अमरसिंह, भरत, प्रभू पिता अमरसिंह	254/2	0.23	0.05	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन ग्रामीण

क्र. 57-री.1-2023

उज्जैन, दिनांक 4 जनवरी 2023

अधिसूचना
प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2))

क्रमांक 0005/अ-82/2022-23 अतएव, राज्य सरकार की लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत, पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा की उपधारा (1) हेतु ग्राम मतानाखुर्द जिला उज्जैन म.प्र. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-8, सनावद जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाइन एवं डक्ट बिछाई जाए। और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

/अनुसूची/

क्र.	खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर में	आर.ओ.यू. (फसल)	प्रभावित क्षेत्र पाईप	सिंचित/असिंचित
01.	दिलीप सिंह पिता जसवंतसिंह	12/1 12/2	1.860	0.5000	0.0560	सिंचित
02.	कमलसिंह पिता सजनसिंह संतोष कंवर पति कमलसिंह	14/1/2 14/2	0.990	0.1750	0.0196	सिंचित
03.	कलाबाई बेवा दारासिंह आदि	15/1	0.600	0.1875	0.0210	सिंचित
04.	विरेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह	69	0.600	0.1025	0.0114	सिंचित
05.	राधेश्याम, कैलाश पिता बोंदर	71	1.550	0.1250	0.0140	सिंचित
06.	राजवीर पिता राजेन्द्रसिंह	63/3	0.400	0.2175	0.0243	सिंचित
07.	वंदना कुवर पति गोकुलसिंह	66/2 70	0.700	0.3125	0.0350	सिंचित
	कुल	07	6.700	1.6200	0.1813	

क्र. 58-री.1-2023

अधिसूचना

प्रारूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2))

क्रमांक 0004/अ-82/2021-22 अतएव, राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा की उपधारा (1) हेतु ग्राम किठोदाराव जिला उज्जैन म.प्र. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-8, सनावद जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईप लाइन एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाए जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013) की धारा -3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करता/करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन नगर जिला उज्जैन म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

क्रमांक	खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर में	आर.ओ.यु (फसल)	प्रभावित क्षेत्र पाईप	सिंचित / असिंचित
1.	जुवानसिंह पुत्र अजबसिंह	172	1.4300	0.2350	0.0263	सिंचित
2.	माधवसिंह पुत्र मानसिंह	180	0.0600	0.2400	0.0268	सिंचित
3.	सौदानसिंह पिता प्रतापसिंह	181	0.7100	0.2225	0.0249	सिंचित
4.	गोपाल पिता शिवनारायण पाटीदार	184	0.7000	0.2425	0.0271	सिंचित
5.	केसरसिंह / प्रतापसिंह	354	1.5700	0.4550	0.0509	सिंचित
6.	गणपत / चुन्नीलाल	353	1.5500	0.1225	0.0138	सिंचित
7.	दिलीप पिता प्रेमसिंह	361/2	0.8800	0.2600	0.0292	सिंचित
8.	रेणुकाकुंवर पति लोकेन्द्रसिंह	361/1	0.8800	0.1875	0.0210	सिंचित
9.	सौरमबाई पति सत्यनारायण	362	1.1400	0.0150	0.0016	सिंचित
10.	शिवपालसिंह पिता रामसिंह	363	1.1100	0.2000	0.0224	सिंचित
11.	मदनलाल पिता देवाजी	364	1.1000	0.0975	0.0109	सिंचित
12.	चंदर पिता रणजीत	374/1	0.8500	0.1750	0.0196	सिंचित
13.	चंदर पिता रणजीत	374/2	0.400	0.0500	0.0056	सिंचित
14.	अम्रतलाल पिता पूनमचंद	376/2	1.8200	0.0250	0.0028	सिंचित
15.	राहुल पिता भगवानसिंह	373	0.9700	0.2500	0.0280	सिंचित
16.	काशीराम पिता जगनाथ	372	0.9600	0.2375	0.0266	सिंचित
17.	मोहनलाल पिता दौलाजी	371	2.1500	0.0100	0.0011	सिंचित
18.	शासकीय नाला	377	1.5500	0.0075	0.0008	सिंचित
योग			19.830	3.0300	0.3400	

राकेश शर्मा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 दिसम्बर 2022

क्र. 8549-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22ए-101-2016-एम.पी.एस.-31-1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अंतर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-झिलमिली प.ह.नं.-39 ब. नं.-110 रा.नि.मं.- चौरई.	रकबा-01.150 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग, क्र. 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर, उपसंभाग, क्र. 1, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 8550-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए-101-2016-एम.पी.एस.-31-1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अंतर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-पाल्हरी प.ह.नं.-42 ब. नं.-163 रा.नि.मं.- चौरई.	रकबा-0.860 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग, क्र. 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर, उपसंभाग, क्र. 1, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 नवम्बर/दिसम्बर 2022

क्र. 8727-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. -22(ए)-381-2019-एम.पी.एस.-31-221 भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-खापा प.ह.नं.-02 ब. नं.-73 रा.नि.मं.- सौंसर.	रकबा-110.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर जिला-छिन्दवाड़ा.	रामघाट बांध परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधि- ग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 8726-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.-22(ए)-381-2019-एम.पी.एस.-31-221 भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-जोबनी, प.ह.नं.-03, ब. नं.-164, रा.नि.मं.- सौंसर.	रकबा-16.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.	रामघाट बांध परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधि- ग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 8725-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.-22(ए)-381-2019-एम.पी.एस.-31-221 भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्ण.
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	ग्राम-छीन्दबोह प.ह.नं.-03, ब. नं.-142, रा.नि.मं.- पांडुर्णा.	रकबा-68.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा.	रामघाट बांध परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधि- ग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-पांडुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 1 दिसम्बर 2022

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-400-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	कोल्हुआ	0.5279	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07, सतना, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत कंचनपुरा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-401-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	तुर्कहा	4.5087	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07, सतना, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत कंचनपुरा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-401-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	श्यामनगर	11.4490	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07, सतना, जिला सतना (म. प्र.)	नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत कंचनपुरा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 6 दिसम्बर 2022

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-415-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	अंतरवेद	7.1656	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (म. प्र.)	नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-416-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	हिनौता	23.1950	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (म. प्र.)	नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 7 दिसम्बर 2022

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-425-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	गिदुरी	0.061	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना जिला सतना (म. प्र.)	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो- (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.